ISSN-0971-8397

आज़ादी का अमृत महोत्सव

योजना

जनवरी 2024 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 22

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस
(कारोबार करने में सुगमता)

ELITE IAS
(A PREMIER INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION)

ARE YOU DREAMING TO BE AN

IAS ?

CRACK UPSC IN 1ST ATTEMPT NOW

Our Offerings

- Personal Mentorship 1:1 by Subject Expert
- GS Integrated Live Classes
- Exclusive NCERT Coverage
- Intergrated Prelims Cum Mains + Essay Test Series
- Weekly Test, Revision and Personal Guidance
- Online/Offline Sessions

TALK TO US

8410000036, 7065202020, 8899999931

BOOK FREE DEMO SESSION www.eliteias.in

ELITE IAS

Elite IAS Academy

Offline & Online English Medium Fees Structure

MODE	BATCH DURATION	FEES (EX-CLUSIVE OF GST)
Click the PDF links below for details		
Offline/**Classroom**	**ONE YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)**	Rs.1,25,000/-
Online/**Live Classes**	**ONE YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)**	Rs.61,000/-
Offline/Classroom	TWO YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)	Rs.1,85,000/-
Online/Live Classes	TWO YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)	Rs.1,10,000/-
Offline/Classroom	**THREE YEAR BATCH (ENGLISH MEDIUM)**	Rs.2,21,000/-
Online/Live Classes	ONLINE THREE YEAR	Rs.1,75,000/-
Online/Live Classes	**Only NCERT Recording**	Rs.15,000/-
Online	**GS Recorded Course (English Medium)**	Rs.35,000/-
Online	**Sociology Optional Video Course**	Rs.25,000/-
Online/Offline	**UPSC Prelims Test Series**	Rs. 3499/-
Online/Offline	**UPSC Mains/Essay Test Series**	Rs. 9,999/-

Serving Nation Through Education

Call: 8410000036, 7065202020 Email: info@eliteias.in, Visit: www.eliteias.in
103 & 105, 1st Floor Mall Road, Kingsway Camp, GTB Nagar Delhi-110009

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

PUBLICATIONS DIVISION
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India

Wait is over!

Rush to grab your copy

Now available

at

www.publicationsdivision.nic.in

&

Book Gallery

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
Soochna Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003

For business related queries on this book, contact: 011-24365609 or businesswng@gmail.com.

ISSN-0971-8397
योजना
वर्ष : 68 | जनवरी 2024 | मूल्य : ₹ 22
अंक : 01 | पौष-माघ, शक संवत् 1945 | पृष्ठ : 60

प्रधान संपादक
कुलश्रेष्ठ कमल

संपादक
डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी के सी हृदयनाथ

आवरण : बिन्दु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-58** पर देखें।

योजना की सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com
या संपर्क करें-
दूरभाष : 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में...

7 साक्षात्कार : अनुराग जैन
जन विश्वास की संकल्पना एवं संवर्धन (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023
सुप्रिया देवस्थली

11 नागरिकों पर भरोसा
अपराधमुक्ति का तरीका
के आर साजी कुमार

14 साक्षात्कार : राजेश कुमार सिंह
ऐतिहासिक कानून का पारित होना
जन विश्वास अधिनियम, 2023 और भविष्य की दिशा
सुप्रिया देवस्थली

18 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
'जेम' से बढ़ी सरकारी खरीद में पारदर्शिता और सहूलियत
प्रशांत कुमार सिंह

22 **भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता**
नीरजा शेखर

33 **जीएसटी और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस**
राघवेन्द्र पाल सिंह

41 **वैधीकरण (गैर अपराधीकरण) ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की दिशा में भारत का निरंतर आगे बढ़ना**
अजय श्रीराम, अजय बहल

45 **विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक माहौल में नाज़ुक संतुलन**
संदीप सोमानी

51 **दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बीच भारत-अफ्रीकी संबंध**
ऋषया धर्माणी

प्रकाशन विभाग के देशभर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 48

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

अब उपलब्ध

नये कलेवर, आकार, सभी रंगीन पृष्ठों और नए स्तम्भों के साथ

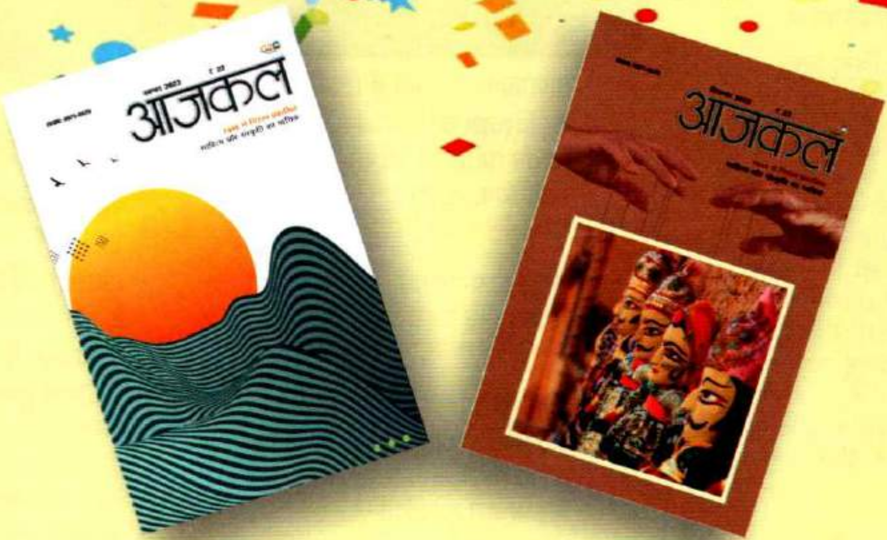

हिन्दी साहित्य विषय के प्रतियोगियों के लिए उपयोगी

आज ही अपनी प्रति खरीदें

सदस्यता के लिए स्कैन करें

प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

वेब साइट: publicationsdivision.nic.in

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

जन विश्वास

सामान्य तौर पर व्यवसायों के सुचारू संचालन और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कारोबार सुगमता एक बुनियादी आवश्यकता है। विनियामक अनुपालन के युक्तिकरण, सरलीकरण और डिजिटीकरण पर केन्द्रित नीति के साथ भारत व्यापार करने में आसानी के लिए सुधारों के पथ पर दृढ़ बना हुआ है। जन विश्वास प्रावधानों के संशोधन अधिनियम ने अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और व्यापार करने में आसानी (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) में सुधार की नींव रखी है। यह विधायी प्रयास, जिसका उद्देश्य कई नियमों को सरल और सुव्यवस्थित करना है, ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण को दर्शाता है जो आर्थिक विकास और उद्यमशीलता के लिए अनुकूल है।

जन विश्वास संशोधन, नौकरशाही बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से व्यापक नियामक सुधारों को सामने लाता है। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली को उच्च प्राथमिकता देते हैं जो छोटे आपराधिक दंडों के बजाय कम गंभीर अपराधों के लिए प्रशासनिक कार्यवाही या दीवानी दंड को प्रतिस्थापित करती है। इसका उद्देश्य प्रकाशन, पत्रकारिता, कृषि और पर्यावरण सहित विभिन्न उद्योगों में 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करके नियामक प्रवर्तन और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के बीच एक नाजुक संतुलन हासिल करना है। यह क्रांतिकारी कदम इस बदलाव का द्योतक है कि भारत में व्यापार करना कितना आसान है। यह अधिनियम छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने के अलावा आर्थिक दंड को तर्कसंगत बनाने की परिकल्पना करता है। इसमें अधिनियम के लागू होने के बाद हर तीन साल में न्यूनतम जुर्माना और उसकी राशि 10 प्रतिशत बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है।

दंड में महत्वपूर्ण बदलाव जनविश्वास अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक हैं। इसने विभिन्न उल्लंघनों के लिए जेल के बजाय बढ़े हुए जुर्माने और दंड की व्यवस्था को प्रतिस्थापित करके निडरतापूर्वक पारंपरिक पद्धति को बदल दिया है। इस सुनियोजित परिवर्तन के साथ, उल्लंघनों को और अधिक दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे व्यवसाय संचालन में हस्तक्षेप किए बिना अधिक मजबूत प्रवर्तन प्रणाली की गारंटी दी जा सके।

देश में व्यापार करने में आसानी के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ वाले कुछ महत्वपूर्ण तर्कसंगत अधिनियमों में 1948 का फार्मेसी अधिनियम, 1957 का कॉपीराइट अधिनियम, 1970 का पेटेंट अधिनियम, 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 का मोटर वाहन अधिनियम, 1999 का ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 का धन शोधन निवारण अधिनियम, 2006 का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 1999 का वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1952 का सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और 2009 का कानूनी माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) अधिनियम शामिल हैं। इस कानून को लागू करने में सरकार का लक्ष्य आम तौर पर सार्वजनिक कल्याण में सुधार करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और उद्यमों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना है। अधिनियम, नियामक ढांचे को हल्का करता है और कंपनियों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) पर बोझ कम करता है, जो अक्सर अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इन सुधारों से मुख्य रूप से उन्हें, अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक समान अवसर देकर लाभ पहुंचाया जाएगा।

योजना के इस संग्रहणीय अंक में, व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने, अधिक निवेश आकर्षित करने और विश्वास-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम की विशिष्टता का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त विधायी प्रयास के माध्यम से, नियामक कठिनाइयों को संबोधित करके, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर और डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहित करके अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धी आर्थिक माहौल की स्थितियां बनाई गई हैं। हमें उम्मीद है कि विषय विशेषज्ञों और हितधारकों की अंतर्दृष्टि 'जन विश्वास' नामक इस अभूतपूर्व पहल के बारे में हमारे पाठकों की समझ को व्यापक बनाएगी, जो व्यापार सुगमता के परिदृश्य और देश की उद्यमशीलता की भावना को नया रूप देने के लिए तैयार है। ❑

Registrations open from **01 December 2023** till **30 December 2023**

ENTRY	AFCAT Entry	NCC Special Entry
BRANCHES	Flying/ Technical/ Weapon Systems/ Administration/ Logistics/ Accounts/ Education/ Meteorology	Flying (NCC Air Wing 'C' certificate is mandatory)

- AFCAT Entry: Registration mandatory and online exam/ NCC Special Entry registration mandatory and no online exam
- Aadhaar card is mandatory for online registration
- Registrations open from **01 December 2023**
- For more details, refer to Employment News dated **25 November 2023** and for detailed notification visit our website **careerairforce.nic.in** and **afcat.cdac.in**

For updates, follow us on

DISHA by Indian Air Force careeriniaf CareerinIAF

'DISHA' Cell, Air Headquarters, Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi - 110106
Tel: 011-23013690 | Toll-free No.: 1800-11-2448 | E-mail: career.iaf@nic.in

CBC 10801/13/0016/2324

YH-2544/2023

जन विश्वास अधिनियम, 2023, 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में प्रावधानों की एक विस्तृत शृंखला को संबोधित करता है। इतने व्यापक विधायी बदलाव के प्रबंधन की जटिलताओं को कैसे दूर किया गया और संशोधनों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कौन से तंत्र मौजूद थे?

जन विश्वास अधिनियम, 2023 द्वारा किए गए व्यापक विधायी बदलाव की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से हल करने में एक कार्यनीतिक और समन्वित दृष्टिकोण शामिल था।

जटिलताओं को प्रबंधित करने के लिए, एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार तैयार करते हुए, सभी संबंधित मंत्रालयों को सामान्य निर्देश जारी किए गए थे। इस व्यापक मार्गदर्शन ने सभी अधिनियमों में विविध संशोधनों को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त एक समिति ने सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समिति में नीति आयोग के सीईओ, कानूनी मामलों के विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। ये सिद्धांत एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करते हैं, जो अपराधमुक्ति प्रक्रिया के दौरान एक सुसंगत प्रक्षेप पथ सुनिश्चित करते हैं।

उदाहरण के लिए, सामान्य आपराधिक प्रावधानों, यानी, अधिनियम में लागू किसी भी उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने वाले प्रावधानों को विशेष रूप से लक्षित किया गया था। कार्यनीति में अलग-अलग अपराधीकरण के लिए गंभीर उल्लंघनों की पहचान करना शामिल था, जबकि गैर-अपराधीकरण के लिए छोटे प्रावधान निर्धारित किए गए थे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य छोटे प्रावधानों को सुव्यवस्थित और सरल बनाते हुए अन्य अपराधों की रोकथाम करते रहना है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (धारा 15) के तहत सामान्य प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत सभी उल्लंघनों के लिए पांच साल तक की कैद की सज़ा निर्धारित करता है। इसे जन विश्वास अधिनियम, 2023 के तहत संशोधित किया गया है और इसे अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड की निर्दिष्ट सीमा से प्रतिस्थापित किया गया है।

व्यापक कानूनी जांच ने व्यापक कानूनी सिद्धांतों के प्रति संशोधनों के पालन को और अधिक मजबूत किया।

अंतर-मंत्रालयी परामर्श ने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें शामिल 19 मंत्रालयों और विभिन्न विभागों के बीच संचार और सहयोग को बढ़ावा दिया गया। इन सत्रों ने विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि संशोधन प्रत्येक मंत्रालय के उद्देश्यों के साथ सहजता से संरेखित हों।

संक्षेप में, इस तरह के व्यापक विधायी बदलाव के प्रबंधन की सफलता जटिलताओं के सावधानीपूर्वक समाधान, सामान्य सिद्धांतों के पालन और संशोधनों में निरंतरता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता में निहित है।

क्या जन विश्वास अधिनियम अत्यधिक बोझ वाली न्यायिक प्रणाली के मुद्दे को संबोधित करता है, और इसका लंबित मामलों और देरी पर क्या प्रभाव पड़ता है?

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है जिनमें सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होता है और उनके स्थान पर दीवानी दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करना है। छोटी, तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक के अब गंभीर आपराधिक परिणाम नहीं होंगे, न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा और गंभीर अपराधों के न्यायनिर्णयन को प्राथमिकता दी जाएगी। जन विश्वास अधिनियम के कार्यान्वयन का अनिवार्य रूप से मतलब है कि 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकांश मामलों का फैसला अब अदालतों द्वारा नहीं किया जाएगा।

छोटे अपराधों से निपटने के लिए, जहां भी लागू और व्यवहार्य हो, कुछ विधायिकाओं में उपयुक्त न्यायनिर्णयन तंत्र भी पेश किए गए थे। न्यायनिर्णयन तंत्र वह है जिसके तहत प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी मौद्रिक दंड लगाता है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति दंड से संबंधित निर्णय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उसे अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करने के वास्ते एक अपीलीय तंत्र भी शुरू किया गया है। यह अधिनियम, अपीलीय तंत्र के साथ-साथ प्रशासनिक न्यायनिर्णयन तंत्र शुरू करके, न्याय प्रणाली पर दबाव कम करता है, लंबित मामलों को कम करने में मदद करता है, और अधिक कुशल तथा प्रभावी न्याय प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है।

इस कानून का अधिनियमन कानूनों को तर्कसंगत बनाने, बाधाओं को दूर करने और व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने की यात्रा में एक मील का पत्थर है। यह कानून विभिन्न कानूनों में भविष्य के संशोधनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा। एक समान उद्देश्य के साथ विभिन्न कानूनों में समेकित संशोधन से उद्योग और न्यायिक प्रणाली दोनों के लिए समान रूप से समय और लागत की बचत होगी।

जन विश्वास अधिनियम की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई। क्या आप विधेयक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में शामिल चुनौतियों और विचारों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, और समिति की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से कैसे समायोजित किया गया?

जन विश्वास अधिनियम को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष प्रस्तुत करना एक सावधानीपूर्ण प्रक्रिया

थी जिसमें उनके विचारों और चुनौतियों का समाधान शामिल था। डीपीआईआईटी द्वारा गहन ब्रीफिंग, संबंधित मंत्रालयों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां, और प्रावधानों को खंड दर खंड पढ़ना, विचारों के पारदर्शी और सहयोगात्मक आदान-प्रदान की कुंजी थी।

समिति ने सात सामान्य सिफारिशें कीं, जिनमें से छह को सभी मंत्रालयों ने स्वीकार कर लिया। इनमें शामिल हैं (1) अधिनियमों की समीक्षा करके भविष्य में इसी तरह की कवायद जारी रखना; (2) समान कार्य करने के लिए राज्यों को सलाह जारी करना; (3) राज्यों को उनके विशेष क्षेत्र में आने वाले कानूनों की समीक्षा करने के लिए सलाह जारी करना; (4) अन्य अधिनियमों की जांच करने और जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 के समान कार्य करने के लिए एक समूह की नियुक्ति; (6) विधि मंत्रालय दंड के निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ एक न्यायनिर्णयन तंत्र को शामिल करने के पहलुओं पर गौर करेगा; और (7) जहां भी संभव हो, मुकदमेबाजी में वृद्धि से बचने के लिए कारावास को हटाने के साथ-साथ जुर्माने के स्थान पर दंड भी लगाया जा सकता है।

एक उल्लेखनीय चुनौती गैर-आपराधिक प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश के इर्द-गिर्द केंद्रित थी। कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग ने संयुक्त संसदीय समिति की प्रत्येक बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और इस मामले की व्यापक जांच की। इन बैठकों के दौरान चर्चा में खंड-दर-खंड वाचन और पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान करने की व्यवहार्यता की व्यापक जांच शामिल थी।

व्यापक परीक्षण के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि गैर-आपराधिक प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना संभव नहीं था। गहन विचार-विमर्श के माध्यम से इस निर्णय पर पहुंचा गया। विचार-विमर्श के दौरान प्रावधानों के निहितार्थ और प्रभावों पर गहन चर्चा की गई।

संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को संबोधित करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समिति के विचारों के साथ तालमेल सुनिश्चित करके, मूल्यवान अंतर्दृष्टि को शामिल करके और तदनुसार विधेयक में संशोधन करके चुनौतियों का सामना किया गया। इस प्रक्रिया में समिति की चिंताओं के प्रति उच्च स्तर की प्रतिक्रिया शामिल थी। सहयोगात्मक माहौल को बढ़ावा दिया गया जिसका उद्देश्य समिति के समर्थन से कानून बनाना था।

संक्षेप में, प्रावधानों के पूर्वव्यापी प्रभाव को छोड़कर संयुक्त संसदीय समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया गया। इस प्रयास की सफलता पारदर्शी संचार, विस्तृत जांच और विधायी ढांचे में मूल्यवान प्रतिक्रिया को शामिल करने की प्रतिबद्धता पर निर्भर थी। परिणामी कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को दर्शाता है।

जन विश्वास अधिनियम, 2023 से किन सिद्धांतों और सीखों को जन विश्वास 2.0 में शामिल किया जा सकता है?

जन विश्वास अधिनियम में कई स्रोतों से सुझावों और सिद्धांतों को समेकित किया गया। ये जन विश्वास 2.0 सहित भविष्य के सभी गैर-अपराधीकरण प्रयासों के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम कर सकते हैं।

1. **उच्च अधिकारियों से निर्देश और सिद्धांत:** माननीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिवालय ने जन विश्वास अधिनियम, 2023 पर व्यावहारिक निर्देश दिए, जो भविष्य में गैर-अपराधीकरण के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। अधिनियमों में बार-बार संशोधन से बचने के लिए इनमें संशोधनों में स्थिरता लाने के निर्देश, परिचालन कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उपयोगकर्ताओं तथा नियामकों के परिप्रेक्ष्य की जांच करना, अधिक प्रशासनिक विवेक के साथ दंड प्रणाली के साथ जोखिम कारकों पर विचार करना, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना और जुर्माना तथा दंड की मात्रा को अनुक्रमित करना शामिल है।
2. **संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें:** संयुक्त संसदीय समिति ने गैर-अपराधीकरण के दृष्टिकोण के संबंध में सामान्य सिफारिशें दीं। मुकदमेबाजी में वृद्धि से बचने के लिए इनमें अन्य कृत्यों की जांच करने और अधिनियम के समान कार्य करने के लिए एक समूह की नियुक्ति, दंड के निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी के साथ एक न्यायनिर्णयन तंत्र को शामिल करने के पहलुओं पर गौर करना और जहां भी संभव हो, कारावास को हटाने के साथ-साथ जुर्माने की बजाय दंड का प्रावधान किये जाने जैसी सिफारिशें शामिल थी। ये अनुशंसाएं सहायक हैं और जन विश्वास 2.0 के लिए आधार प्रदान करती हैं।
3. **गैर-अपराधीकरण का तरीका:** जन विश्वास अधिनियम, 2023 गैर-अपराधीकरण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है, विभिन्न प्रावधानों में कारावास और/या जुर्माने को हटाकर, कारावास और/या जुर्माने को दंड से बदलकर, यौगिकीकरण विकल्पों की शुरूआत करके अधिक न्यायसंगत कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करता है। इसी तरह के पैटर्न से भविष्य में गैर-अपराधीकरण विधेयकों के लिए संशोधनों की आसान पहचान की जा सकती है और मसौदा तैयार किया जा सकता है। □

Elite Academy For Education & Training Pvt Ltd, Delhi

नागरिकों पर भरोसा अपराधमुक्ति का तरीका

नए कानून का उद्देश्य जहां भी संभव हो छोटे अपराधों के लिए कारावास को मौद्रिक दंड में बदलना और अपराधों की गंभीरता के आधार पर दंड को तर्कसंगत बनाना है। इसका उद्देश्य मामूली या छोटे उल्लंघनों या अनपेक्षित उल्लंघनों के लिए लोगों को अदालत परिसर में घसीटने से बचना है; इसके बजाय यह विधेयक औपचारिक आपराधिक अदालतों के अलावा अन्य प्राधिकारियों द्वारा मौद्रिक दंड और निर्णय का प्रावधान करता है।

के आर साजी कुमार | न्यायिक सदस्य, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और पूर्व अपर सचिव, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के विधायी विभाग।

जन विश्वास विधेयक का मसौदा तैयार करने का अनुभव

विधायी विभाग के लिए भारत का मसौदा कार्यालय होने के नाते, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 (जन विश्वास विधेयक) का मसौदा तैयार करना और इसे अंतिम रूप देना विशेष रूप से मेरे लिए एक अनूठा अनुभव था। मुझे विधायी विभाग में विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिला और मुझे इसे प्रमाणित करने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित करने का विशेषाधिकार भी मिला। मेरा भाग्य बिल के प्रारंभिक प्रारूपण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि रीडिंग के विभिन्न चरणों में बिल की निगरानी करना और बाद में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष संशोधनों का बचाव करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ जिम्मेदारी साझा करना शामिल था। जन विश्वास विधेयक का मसौदा तैयार करना चुनौतीपूर्ण था और इसने विधायी विभाग के लिए चिरस्थायी संस्थागत यादें छोड़ दीं और एक विधायी परामर्शदाता के रूप में एक बेजोड़ पेशेवर अनुभव भी छोड़ दिया।

जन विश्वास - जनता पर भरोसा करना

जैसा कि विधेयक के संक्षिप्त शीर्षक से स्पष्ट है कि यह विधेयक प्रधान मंत्री के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके तहत लोगों पर भरोसा करने के लिए विभिन्न उपाय लागू किये जाएं न कि सिर्फ लोग ही सरकार पर भरोसा करें। यह विधेयक उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में से एक था जिनका उद्देश्य देश

में जीवनयापन और व्यवसाय करना आसान बनाना था, अर्थात् दस्तावेजों के स्व-सत्यापन को प्रोत्साहित करना, एक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड का निर्माण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की केंद्रीय रजिस्ट्री और सुरक्षा हित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इत्यादि। वस्तु एवं सेवा कर, दिवाला और दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले नए कानूनों के साथ साथ ही कंपनी कानून में संशोधन भी लागू किए गए। नागरिकों के लिए जीवनयापन में आसानी और व्यवसाय करने में आसानी हासिल करने के लिए कई औपनिवेशिक अधिनियमों को या तो निरस्त कर दिया गया या उनमें संशोधन किया गया। जन विश्वास कानून आपराधिक दंडों को खत्म करने और उन्हें मौद्रिक दंड में बदलने के प्रयास का हिस्सा है। यह पहली बार है कि विश्वास-आधारित शासन के हिस्से के रूप में जेल की सज़ा को हटाने और मौद्रिक दंड में बदलने के लिए कानूनों में बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया है। सरकार को लोकतांत्रिक शासन में अपने लोगों और संस्थानों पर भरोसा करने की जरूरत है। इस समेकित संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य सरकार और शासित के बीच विश्वास की कमी को दूर करना है। कारावास को मौद्रिक दंड में बदलने से मुकदमा करने वालों और आपराधिक अदालतों दोनों पर बोझ कम हो जाता है, जिससे पक्षकारों को प्रशासनिक, न्यायिक और अपीलीय तंत्र के माध्यम से मामूली उल्लंघनों वाले अपराधों को निपटाने में मदद मिलती है।

मसौदा तैयार करने की चुनौतियाँ

विधायी प्रारूपण में रचनात्मकता शामिल होती है; किसी कानून का मसौदा तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह कानून के उद्देश्य की भावना को परिपूर्ण करता हो ताकि कानून लंबे समय तक टिक सके। काफी अनुभवी विधायी सलाहकारों की एक टीम के रूप में भी, हमें कम समय में मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए कुछ अलग क्षेत्रों में काम करना पड़ा और कुछ नवीनता भी लानी पड़ी। सबसे पहले, हमारे पास सटीक विधायी मिसालें नहीं थीं। दूसरे, यह एक अनछुई प्रारूपण यात्रा थी जिसमें कृषि से लेकर परिवहन, वित्त, अर्थशास्त्र, बौद्धिक संपदा, पर्यावरण, रक्षा आदि कई विषय शामिल थे। प्रारंभ में, प्रस्ताव, लगभग 30 अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन करने का था, लेकिन हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया, जिसमें 182 प्रावधान शामिल थे, जिसमें 1867 से 2016 तक के स्वतंत्रता पूर्व और बाद के अधिनियम भी शामिल थे। मंत्रिमंडल के लिए 42 मसौदा नोटों की जांच और समान संख्या में संशोधन विधेयकों का अलग से मसौदा तैयार करना, यह विधायी विभाग के समक्ष 19 प्रशासनिक मंत्रालय के साथ बातचीत करने जैसा था। किसी भी स्थिति में, हमें 42 विभिन्न अधिनियमों के साथ-साथ इन अधिनियमों के प्रावधानों पर प्रभाव डालने वाले अन्य अधिनियमों का अध्ययन, इन्हें समझना और अनुसंधान करना था। हमारी प्रारंभिक चुनौती यह थी कि क्या अलग-अलग संशोधन विधेयकों का मसौदा तैयार किया जाए या सभी संशोधनों को एक ही विधायी उपकरण में जोड़ दिया जाए। सौभाग्य से, ईज़ ऑफ लिविंग' और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' पहले से ही सरकार के नीतिगत एजेंडे में थे और कई प्रस्ताव मसौदा तैयार करने और परामर्श के विभिन्न चरणों में लंबित थे। चूँकि यह प्रस्ताव व्यक्तियों और संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ था, कई प्रशासनिक मंत्रालयों ने पहले ही कैबिनेट के लिए व्यक्तिगत मसौदा नोट प्रसारित करके कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिससे हमें प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में मदद मिली।

मसौदे को आकार देना

हमारी टीम ने डीपीआईआईटी के साथ हमारी प्रारंभिक बातचीत से कार्य की तात्कालिकता और समयबद्धता को समझा। हम जानते थे कि मंत्रिमंडल जल्द ही प्रस्ताव पर विचार कर रही है और हमें त्वरित कार्रवाई करनी होगी। हमने महसूस किया कि विधायी विभाग का बोझ सामान्य से अधिक भारी था। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए सीमित समय को ध्यान में रखते हुए, हमने अलग-अलग विधेयकों के बजाय विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रशासित सभी अधिनियमों में संशोधन को कवर करने वाला एक ही विधेयक लाने का निर्णय लिया। इससे कैबिनेट के लिए अलग-अलग मसौदा नोट प्रसारित करने और अन्य मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त करने का बोझ कम हो गया। विधायी विभाग में हम हमेशा असामान्य दबाव में काम करते हैं। एक बार जब प्रशासनिक मंत्रालय औपचारिक रूप से अपने प्रस्ताव विभाग को सौंप देते हैं, तो हम शेष बोझ साझा करते हैं। प्रारंभ में, हमने सोचा था कि हमारी बातचीत डीपीआईआईटी तक ही सीमित रहेगी, जो समन्वय विभाग था, और हम संशोधनों का मसौदा तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए किसी अन्य मंत्रालय के साथ शामिल नहीं होंगे। इसलिए, हमने डीपीआईआईटी को संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा पूरी करने और हमें एक संकलित प्रस्ताव प्रदान करने की सलाह दी। हालाँकि, जल्द ही हमें एहसास हुआ कि इसमें अधिक समय लगेगा क्योंकि डीपीआईआईटी द्वारा संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के बाद भी, हमारा सहयोग आवश्यक होगा। दोहराव से बचने के लिए, हमने प्रत्येक के लिए अलग-अलग तारीखें और समय निर्धारित करके प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ चर्चा निर्धारित की। इसने अच्छा कार्य किया और हमने सीधे उनसे संपर्क किया और एक बिल में संयोजन के लिए अलग-अलग ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया। डीपीआईआईटी में अधिकारियों की टीम अपने दृष्टिकोण में उत्तरदायी, तेज और व्यावहारिक थी।

सही प्रारूप

एक बार जब हम स्पष्ट हो गए कि हम सभी अधिनियमों और संशोधनों को शामिल करते हुए केवल एक ही विधेयक का

मसौदा तैयार करेंगे, तो अगला कार्य विधेयक के परिचयात्मक और प्रारंभिक भागों के लिए एक उपयुक्त प्रारूप पर निर्णय लेना था और फिर संशोधनों के पर्याप्त हिस्से की व्यवस्था करना था। हमने बिल को डिजाइन करने के लिए एक प्रारंभिक मानसिक रूपरेखा बनाई और सुझाव दिया कि सभी संशोधनों को एक सारणीबद्ध रूप में एक सामान्य अनुसूची के तहत समूहीकृत किया जाएगा, जिसमें अधिनियमों के संक्षिप्त शीर्षक, अधिनियम संख्या और किए जाने वाले संशोधनों के बारे में विवरण शामिल होंगे और इन्हें आसानी से समझने के लिए अलग-अलग कॉलम होंगे। इस पद्धति को डीपीआईआईटी ने स्वीकार किया और कई लोगों ने इसकी सराहना की।

जुर्माने और सज़ा का आवधिक पुनरीक्षण

नए कानून का उद्देश्य जहां भी संभव हो छोटे अपराधों के लिए कारावास को मौद्रिक दंड में बदलना और अपराधों की गंभीरता के आधार पर दंड को तर्कसंगत बनाना है। इसका उद्देश्य मामूली या छोटे उल्लंघनों या अनपेक्षित उल्लंघनों के लिए लोगों को अदालत परिसर में घसीटने से बचना है; इसके बजाय यह विधेयक औपचारिक आपराधिक अदालतों के अलावा अन्य प्राधिकारियों द्वारा मौद्रिक दंड और निर्णय का प्रावधान करता है। दंडों के युक्तिकरण में उल्लंघनों की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, कुछ प्रमुख अपराधों के लिए भारी मौद्रिक दंड पर भी विचार किया गया है। नया विचार यह था कि अधिनियम लागू होने के बाद हर पांच साल में न्यूनतम जुर्माना और दंड में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रावधानों को शामिल किया जाए। इससे अधिनियम में बार-बार संशोधन करने से बचा जा सकता है, जिससे मुद्रास्फीति और धन के अवमूल्यन के अनुरूप अर्थदंड और जुर्माने में थोड़ी वृद्धि की सुविधा मिलती है। यह आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर अपराध की गंभीरता के आधार पर सज़ा देने में निष्पक्षता भी सुनिश्चित करता है। कम गंभीर अपराधों के लिए सज़ा के रूप में कारावास को हटाने से आपराधिक अदालतों पर बोझ कम हो जाएगा।

बचत खण्ड का मसौदा तैयार करना

हमारा अगला कार्य एक उपयुक्त बचत खंड शामिल करना था। चूंकि नया अधिनियम विभिन्न अन्य अधिनियमों में निहित कई प्रावधानों को निरस्त करता है, इसलिए प्रावधानों के तहत पहले से की गई कार्रवाइयों को निरस्त होने से बचाना आवश्यक था। निरस्त किये जा रहे प्रावधानों को कुछ अन्य अधिनियमों में भी लागू किया गया होगा, जिन्हें फिर से सहेजने की आवश्यकता है। बचत खंड में प्रावधान है कि जन विश्वास कानून अन्य कानूनों के तहत पहले से स्थापित किसी भी अधिकार या दायित्व की वैधता, अमान्यता, प्रभाव या परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा।

लंबे और छोटे शीर्षक

किसी विधेयक का लंबा शीर्षक वह लंबा विवरण होता है जो विधायी पाठ की शुरुआत में दिखाई देता है। यह विधेयक के उद्देश्यों और उद्देश्य को दर्शाता है ताकि पाठक को प्रस्तावित कानून की एक झलक मिल सके। विधायी प्रारूपण में, हालाँकि लंबे शीर्षक का प्रारूप शुरुआत में ही तैयार किया जाता है, लेकिन प्रारूपण प्रक्रिया के दौरान इसमें संशोधन होते रहते हैं। जब तक मसौदे को अंतिम रूप दिया जाता है, तब तक मसौदा तैयार करने वाले और प्रशासनिक मंत्रालय कई नए विचारों के साथ सामने आ चुके होंगे, जिससे प्रारंभिक विचारों में संशोधन किया जा सकेगा। लघु शीर्षक के मामले में भी ऐसा ही है। यह और कुछ नहीं बल्कि नए कानून का औपचारिक नामकरण है जिसके द्वारा इसे जाना जाता है और उद्धृत किया जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, लघु शीर्षक वर्णनात्मक लंबे शीर्षक से छोटा होता है, हालांकि यह लंबे शीर्षक के मूल तत्वों को दर्शाता है। जैसा कि हम विभिन्न अधिनियमों के तहत ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने तथा अर्थदंड और जुर्माने को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार की पहल को प्रतिबिंबित करना चाहते थे, हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए अपराधों के वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण), इन्हें 'तर्कसंगत बनाने' और 'विश्वास आधारित शासन' के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक अंतिम लंबे शीर्षक पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार विधेयक का लंबा शीर्षक नागरिकों में सरकार के मजबूत विश्वास को दर्शाता है, जो शासन में समावेशिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। हमने इसे अधिक 'भारतीय स्पर्श' और 'देवनागरी ध्वनि' देने वाली अभिव्यक्ति गढ़कर छोटे शीर्षक को लंबे शीर्षक के साथ मिलाने का भी प्रयास किया; इस प्रकार, संक्षिप्त शीर्षक का पहला भाग 'जन विश्वास' अभिव्यक्ति से शुरू होता है।

जन विश्वास कानून- सदैव कायम रहने वाला

हालाँकि जन विश्वास अधिनियम एक संशोधित कानून है, लेकिन इसे क़ानून की किताब से हटाने के लिए किसी भी नियमित निरसन और संशोधन कानून के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह कुछ कारावासों को स्थायी रूप से मौद्रिक दंड में परिवर्तित करता है, कुछ दंडात्मक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है, और उल्लंघनों के वैकल्पिक समाधान प्रदान करता है। इसलिए, इसका क़ानून की किताब में एक स्थायी स्थान है और यह एक स्टैंडअलोन कानून है। संबंधित संशोधनों के मूल अधिनियमों के निकायों पर आश्रय लेने के बाद भी, यह अधिनियम तब तक बना रहेगा जब तक कि मूल अधिनियम क़ानून की किताब पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में जुर्माने और अर्थदंड को हर पांच साल में संशोधित किया जाना है। संभवत:, भविष्य में और भी जन विश्वास अधिनियम हो सकते हैं। ❑

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

ऐतिहासिक कानून का पारित होना

जन विश्वास अधिनियम, 2023 और भविष्य की दिशा

आजकल भारत का मीडिया और आम नागरिक अधिक जागरूक हो गए हैं और नए कानूनों का सक्रिय रूप से पालन करते हैं और उनमें रुचि लेते हैं, विशेष रूप से वे कानून जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग के पक्ष में लाए गए हैं। इससे सरकार के लिए ऐसे कार्यों के बारे में पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी जटिलता और भ्रम के कारण ऐसे अधिनियमों के वास्तविक उद्देश्य विकृत न हों। ऐसी प्रगति के बारे में जागरूकता सृजन करना भी महत्वपूर्ण है ताकि इच्छित हितधारक इसका लाभ उठा सकें और इस तरह की सकारात्मक प्रगति से अवगत हो सकें।

राजेश कुमार सिंह (सचिव, डीपीआईआईटी) के साथ साक्षात्कार
- सुप्रिया देवस्थली, निदेशक, ईओडीबी, डीपीआईआईटी

जन विश्वास अधिनियम के लागू होने पर मीडिया और जनता की क्या प्रतिक्रिया थी? वर्तमान परिदृश्य में, नए अधिनियमों के बारे में उचित पहुंच और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है?

इस नवीन अभ्यास पर तत्काल जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक थी। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है जिनमें सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होता है और उनके स्थान पर सिविल दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। छोटी, तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक के अब गंभीर आपराधिक परिणाम नहीं होंगे, न्याय प्रणाली पर बोझ कम होगा और गंभीर अपराधों के निर्णय को प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा। एक समान उद्देश्य के साथ विभिन्न कानूनों में समेकित संशोधन कार्यपालिका और विधायिका दोनों के लिए समय और लागत बचाते हैं। जन विश्वास अधिनियम अपनी तरह का पहला समेकित संशोधन है।

आम जनता छोटी प्रकृति के अपराधों की पहचान करने और उन्हें आर्थिक दंड देकर अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए सचेत प्रयासों की सराहना करती है। यह महसूस किया गया कि यह अनिवार्य रूप से न केवल अर्थव्यवस्था जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग शामिल हैं, को बढ़ावा देने में मदद करेगा साथ-साथ न्यायिक बोझ को भी कम किया जा सकेगा। छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए अधिनियम के तहत संशोधन निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर किए गए हैं: (i) ऐसे अपराध जहां गलत मंशा (दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादा) अनुपस्थित है; और (ii) ऐसे अपराध जहां व्यापक सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

उदाहरण के लिए, भारतीय वन अधिनियम में वन भूमि पर मवेशी चराने के लिए कारावास का प्रावधान था। कारावास और जुर्माने की जगह अब दंड ने ले ली है। इस संशोधन से उन आदिवासियों और ग्रामीणों को लाभ होगा जो मवेशी चराते समय अनजाने में वन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। चूँकि उल्लंघन प्रकृति में गंभीर नहीं है और जानबूझकर नहीं किया गया है, इसलिए कारावास के प्रावधान उचित नहीं थे। हालाँकि, अभी भी 500 रुपये का जुर्माना लगाकर रोकथाम हासिल करने का प्रस्ताव है।

आजकल भारत का मीडिया और आम नागरिक अधिक जागरूक हो गए हैं और नए कानूनों का सक्रिय रूप से पालन करते हैं और उनमें रुचि लेते हैं, विशेष रूप से वे कानून जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग के पक्ष में लाए गए हैं। इससे सरकार के लिए ऐसे कार्यों के बारे में पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी जटिलता और भ्रम के कारण ऐसे अधिनियमों के वास्तविक उद्देश्य विकृत न हों। ऐसी प्रगति के बारे में जागरूकता सृजन करना भी महत्वपूर्ण है ताकि इच्छित हितधारक इसका लाभ उठा सकें और इस तरह की सकारात्मक प्रगति से अवगत हो सकें।

आपराधिक प्रावधानों का वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) करने की प्रक्रिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता करने को लेकर आशंकाएं और सवाल थे। जन विश्वास अधिनियम में इस चिंता का समाधान कैसे किया गया?

किसी भी संशोधन को विधेयक का रूप देने से पहले उसे विभिन्न दौर की चर्चाओं और विचार-विमर्श से गुजरना पड़ता है। इसी तरह, जन विश्वास अधिनियम के लिए, प्रत्येक प्रावधान कई दौर की समीक्षा से गुजरा है।

वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) पर विचार-विमर्श के लिए सबसे पहले संबंधित केंद्रीय मंत्रालय द्वारा निरर्थक और बोझिल छोटे आपराधिक मामलों की पहचान की गई थी। इसके बाद इस प्रावधान को हितधारक परामर्श के दौर से गुजरना था।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023
भारतीय वन अधिनियम, 1927

1

वन भूमि में मवेशी चराने पर जुर्माने और एक अवधि के लिए 6 महीने तक बढ़ाये जा सकने के कारावास का प्रावधान था।

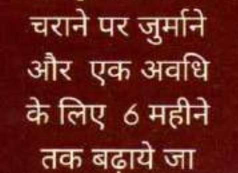

2

जन विश्वास अधिनियम के तहत कारावास और जुर्माने के स्थान पर दंड का प्रावधान किया गया।

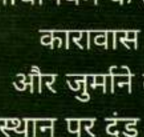

3

ये संशोधन उन जनजातीय और ग्रामीण लोगों के लिए लाभकारी है जो मवेशी चराने के दौरान अनजाने में वन में प्रवेश कर जाते थे

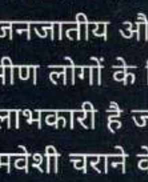

4

चूँकि उल्लंघन प्रकृति में गंभीर नहीं है और जानबूझकर नहीं किया जा सकता है इसलिए कारावास प्रावधान उचित नहीं थे। हालाँकि 500 रुपये का जुर्माना लगाकर निवारण हासिल करने का प्रस्ताव है।

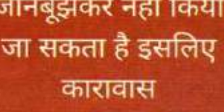

स्रोत : डीपीआईआईटी

ऐसे प्रावधानों को एक सामान्य संशोधन विधेयक में संकलित किया गया। इसके अतिरिक्त, जन विश्वास विधेयक का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के बाद, सभी उद्योग संघों और संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक जुड़ाव के प्रयास किए गए। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसने नौ बैठकों की एक शृंखला के माध्यम से विधेयक की खंड-वार जांच की। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर संभावित नकारात्मक प्रभाव वाले प्रावधानों को समिति और संबंधित मंत्रालयों द्वारा विचार-विमर्श के विभिन्न दौर में बरकरार रखा गया था।

बिल के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कोई समझौता न हो। अभिप्राय यह था कि किए गए अपराध के दंडात्मक परिणाम की प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए। यह विधेयक अपराध या उल्लंघन की गंभीरता और निर्धारित सज़ा की तीव्रता के बीच संतुलन स्थापित करता है। प्रस्तावित संशोधन कानून की सख्ती को खोए बिना व्यवसायों और नागरिकों द्वारा कानून का पालन किया जाना सुनिश्चित करते हैं।

इसलिए, स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव वाले अपराधों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था। अंत में, उल्लंघनों और गैर-अनुपालन के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि प्रमुख हितधारक निवारक प्रभाव को बरकरार रखते हुए अधिनियम के प्रावधानों का विधिवत पालन करते हैं।

जन विश्वास अधिनियम आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाकर विश्वास-आधारित शासन को आगे बढ़ाने का एक नया और सफल प्रयास था। क्या सरकार भविष्य में भी इस अभ्यास को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है?

जी हां, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) पहले से ही एक अन्य सामान्य संशोधन विधेयक, अर्थात् जन विश्वास 2.0 के लिए संकलित किए जाने वाले छोटे आपराधिक प्रावधानों की पहचान करने की प्रक्रिया में है। माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी विभिन्न मंचों पर कहा है कि "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एक निरंतर प्रयास होगा।'' वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) भारत सरकार द्वारा अनुपालन को तर्कसंगत बनाने की निरंतर प्रक्रिया का एक प्रमुख हिस्सा है। प्राप्त सफलता को देखते हुए समेकित संशोधन तथा ओवरलैपिंग और बोझिल कानून की बहुतायत के कारण, इसी तरह की प्रक्रिया अनुपालन प्रयासों को तर्कसंगत बनाने में सफल होंगी।

जन विश्वास विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने यह भी सिफारिश की कि अन्य अधिनियमों की समीक्षा करके और संसद के समक्ष इसी तरह का कानून लाकर भविष्य में भी ऐसी कवायद जारी रखी जानी चाहिए।

जन विश्वास 2.0 प्रक्रिया जन विश्वास अधिनियम, 2023 को आगे बढ़ाएगा, जिसमें इसके पूर्ववर्ती नवीन प्रक्रिया से प्राप्त जानकारी को शामिल किया जाएगा। वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) के लिए पहचाने गए अनुपालन के दायरे में बोझिल और छोटे आपराधिक प्रावधानों की पहचान के लिए तीन प्राथमिक स्रोत होंगे:

1. **लक्षित दृष्टिकोण:** जन विश्वास 2.0 चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण को लागू कर सकता है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय और प्रभाव वाले 42 अधिनियमों को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पर प्रत्यक्ष निहितार्थों और प्रभावों के साथ संचालित करते हैं जिन्हें प्राथमिकता माना जा रहा है।
2. **कार्यकारी समूह की सिफारिशें:** जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 पर संयुक्त संसदीय समिति ने अन्य अधिनियमों की जांच करने और जन विश्वास अधिनियम के समान अभ्यास करने के लिए एक समूह की नियुक्ति की सिफारिश की। वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) संबंधी कार्य समूह गैर-अपराधीकरण के लिए विशिष्ट प्रावधानों पर चर्चा करने और इसकी पहचान के लिए नियमित बैठकें आयोजित कर रहा है।
3. **बोझिल राज्य विधान पर अधिभावी प्रभाव डालने वाले केंद्रीय अधिनियम।**

भारत में पुरातन और निरर्थक विधानमंडल के विशाल स्वरूप को देखते हुए, अपराधमुक्ति के प्रयास को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा, "हमारे सर्वोत्तम इरादों के साथ, जन विश्वास 2.0 बिल हमें एक कदम आगे ले जाएगा, लेकिन हमें संभवत: जन विश्वास 3.0 की आवश्यकता होगी।''

प्रावधानों के संभावित वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) के आकलन में क्षेत्रीय विशेषज्ञता कैसे सुनिश्चित की जाती है? जन विश्वास 2.0 वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) के प्रावधानों की पहचान और विश्लेषण में उद्योग संघों को कैसे शामिल करने का प्रस्ताव करता है?

डीपीआईआईटी ने वर्ष 2021 में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए छोटे अपराधों की पहचान करने और इनके वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) के लिए अभियान शुरू किया। व्यवसायों पर लागू बोझिल और अनावश्यक आपराधिक प्रावधानों पर सुझाव प्राप्त करने के

लिए विभिन्न हितधारक परामर्श किए गए हैं। सिफारिशें नीति आयोग, उद्योग संघों (भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), वेइंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूईएमए), मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमएआईटी) और स्वतंत्र रिपोर्ट जैसे टीमलीज द्वारा 'जेल्ड फॉर डूइंग बिज़नेस' रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय उप कार्य समूह से प्राप्त सुझावों पर विधिवत विचार किया जाता है और वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) अभियान में शामिल किया जाता है।

इसके अलावा, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 पर संयुक्त संसदीय समिति ने गैर-अपराधीकरण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मौजूदा कानूनों की जांच करने के लिए एक कार्य समूह की नियुक्ति की सिफारिश की। इसके बाद, संबंधित कानूनों की जांच के लिए छह नियामक-वार/क्षेत्रीय उप-कार्य समूह बनाए गए हैं। क्षेत्रीय उप-कार्य समूह में संबंधित मंत्रालय, उद्योग संघ और क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं। कार्य समूह मासिक बैठकें आयोजित करता है, जिससे किसी विशिष्ट क्षेत्र में सभी संबंधित हितधारकों द्वारा बहस के लिए एक साझा मंच की सुविधा मिलती है।

जन विश्वास अधिनियम 42 केंद्रीय अधिनियमों में प्रावधानों का वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) करता है। केंद्रीय विधानमंडल की तरह राज्य विधानमंडल अनावश्यक छोटे-मोटे आपराधिक प्रावधानों से भरे हुए हैं। गैर-अपराधीकरण अभियान को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक कैसे बढ़ाया जा सकता है?

संसदीय पैनल ने केंद्र को सुझाव दिया था कि वह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जन विश्वास विधेयक की तर्ज पर छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए प्रोत्साहित करे।

राज्य विधानमंडलों में वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) अभियान में, यह लगातार उजागर किया गया है कि केंद्रीय विधानों का प्रभाव अधिक होने के कारण, राज्य सरकारें छोटे आपराधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करने में असमर्थ होती हैं। ऐसे पहचाने गए केंद्रीय अधिनियमों की जांच के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण का सभी राज्य विधानों के बाद के गैर-अपराधीकरण के माध्यम से गहरा प्रभाव पड़ेगा। डीपीआईआईटी की अन्य पहलों में राज्य की बातचीत के माध्यम से कुछ अधिनियमों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। डीपीआईआईटी ने चयनित राज्यों के साथ बैठकें की हैं और जन विश्वास 2.0 के तहत विचार के लिए ऐसे आकस्मिक केंद्रीय अधिनियमों के लिए प्रस्तुतियाँ आमंत्रित की हैं।

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भी डीपीआईआईटी के रिड्यूसिंग कंप्लायंस पोर्टल (आरसी पोर्टल) पर गैर-अपराधीकरण के प्रावधानों की स्वयं-पहचान कर रहे हैं। राज्य के गैर-अपराधीकरण अभियान के तहत 3000 से अधिक प्रावधानों की पहले ही पहचान की जा चुकी है और उन्हें कम किया जा चुका है। हालाँकि, राज्य के अधिनियमों और अधीनस्थ कानूनों की संख्या को देखते हुए, प्रयासों को दोगुना करने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) के इस अनोखे अभियान से क्या सीख ली जा सकती है जिसे भारत के समग्र नियामक विकास पर लागू किया जा सकता है?

जन विश्वास अधिनियम एक नवीन प्रक्रिया थी जिसने 19 केंद्रीय मंत्रालयों के तहत शासित 42 अधिनियमों में संशोधन किया। सरकार की इसी तरह की प्रमुख पहलों को दोहराने के लिए संचार के स्पष्ट चैनलों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय के संबंध में जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है।

गैर-अपराधीकरण अनुपालन के समग्र युक्तिकरण का हिस्सा है। विनियामक अनुपालन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि विनियमन और संबंधित सार्वजनिक नीतियां अपने इच्छित सार्वजनिक परिणामों को प्राप्त करें - अर्थात, आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करते हुए किसी देश में सार्वजनिक कल्याण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा करना। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे नियम प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में काम करें और उन पर अनावश्यक बोझ न डालें, मौजूदा नियमों और उनके अनुरूप तर्कों का पूरा संग्रह होना महत्वपूर्ण है।

अनुपालन कम होने से कुशल नीति निर्माण होता है, आर्थिक विकास के लिए अनुकूल समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, एमएसएमई को रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग करता है और पारदर्शिता के माध्यम से निवेशकों का विश्वास बढ़ाया जाता है। तर्कसंगत नियमन ही लक्ष्य है, क्योंकि वे न केवल व्यापार करने में आसानी बल्कि जीवनयापन में भी सुगमता को बढ़ाते हैं।

वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) स्वैच्छिक अनुपालन का एक समूह तैयार करने और नियमों की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। यह अंततः एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा, जो सरकार को 'नियामक प्रभाव आकलन' (आरआईए) की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता करेगा। विनियामक प्रभाव आकलन प्रस्तावित और मौजूदा नियमों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का गंभीर रूप से आकलन करने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण है। विनियामक प्रभाव मूल्यांकन के कार्यान्वयन से डाटा आधारित नीति निर्माण, लचीले 'परिणाम-उन्मुख' विनियमन की ओर एक कदम और लागत-लाभ विश्लेषण के माध्यम से नियमों के उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। ❑

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 'जेम' से बढ़ी सरकारी खरीद में पारदर्शिता और सहूलियत

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

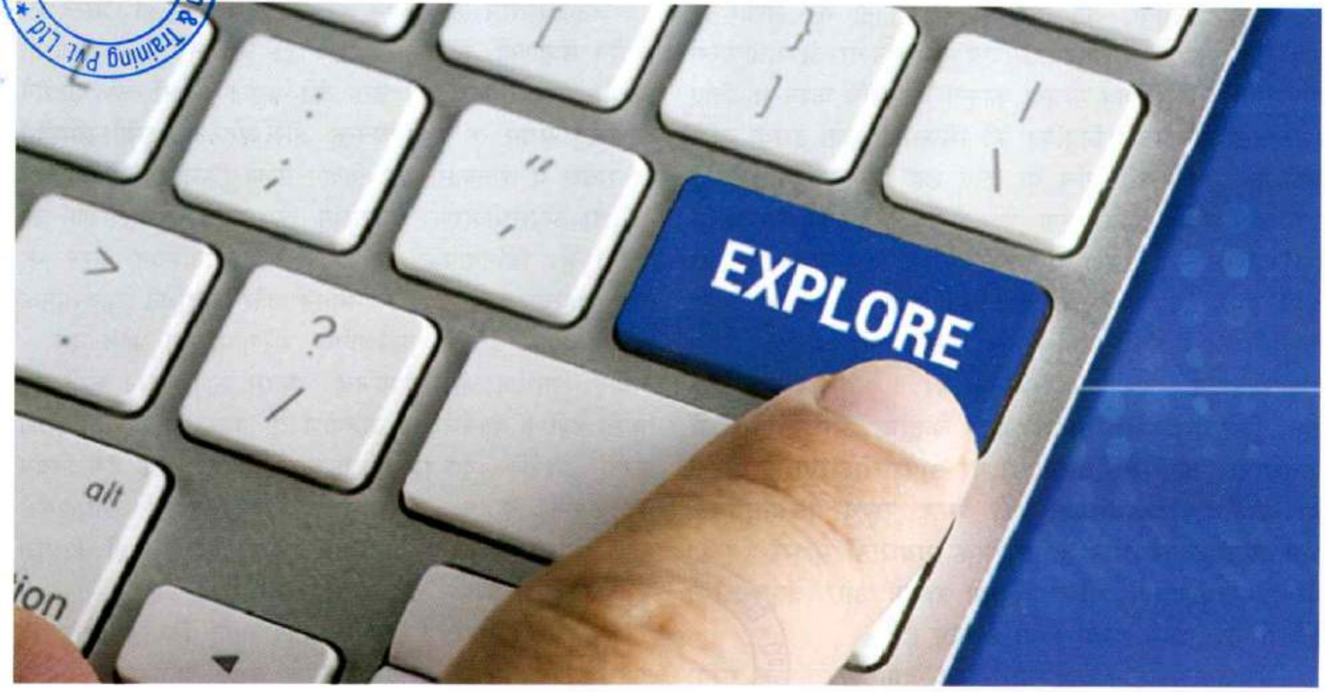

प्रशांत कुमार सिंह | निदेशक और सीईओ, जीइएम, नई दिल्ली। ईमेल: ceo-gem@gov.in

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सार्वजनिक खरीद का हिस्सा लगभग 20 से 25 प्रतिशत है। इसका मतलब यह हुआ कि करदाताओं से एकत्र धन का एक बड़ा हिस्सा जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च होता है। ये वस्तुएं और सेवाएं सरकारी कार्यक्रमों को जीवन देती हैं। ऐसी स्थिति में कुशल सार्वजनिक खरीद के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) की परिकल्पना समावेशी विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और व्यवसाय सुगमता के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को अमल में लाने के मकसद से वाणिज्य विभाग के अधीन कंपनी कानून की धारा 8 के तहत विशेष उद्देश्य साधन के तौर पर की गई। जेम अपनी शुरुआत के समय से अब तक 60000 करोड़ रुपये से ज्यादा के सरकारी धन की बचत में मददगार रहा है। यह पोर्टल अपनी व्यापक उपलब्धियों की बदौलत विश्व के अग्रणी सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्मों में से एक बन गया है। इसने बेहद कम समय में ही दक्षिण कोरिया के कोनेप्स और सिंगापुर के जेबिज जैसे सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्मों को भी विभिन्न पहलुओं में पीछे छोड़ दिया है।

अगस्त 2016 में स्थापित, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एक विश्व स्तरीय, मजबूत डिजिटल पोर्टल है जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, संगठनों और संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की शुरू से अंत तक खरीद की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल सरकारी खरीदारों को एक ऐसा पेपरलेस, कैशलेस एवं कॉन्टैक्टलेस पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है जहाँ वे एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से देश भर के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से सीधे उत्पाद और सेवाएं खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) विक्रेता पंजीकरण और खरीदारों द्वारा आइटम चयन से लेकर माल की प्राप्ति और समय पर भुगतान की सुविधा तक खरीद प्रक्रिया के सभी पहलुओं को कवर करता है। पोर्टल के सामर्थ्य, क्षमताओं और कार्यात्मकताओं का विस्तार करके, देश में सरकारी खरीद में एक आदर्श बदलाव लाया गया है।

सार्वजनिक खरीद के लिए डिजिटल समाधान की आवश्यकता

सरकारी खरीद अपारदर्शी, समय लेने वाली, बोझिल और भ्रष्टाचार तथा गुटबंदी से ग्रस्त हुआ करती थी। खरीदारों को बेईमान विक्रेताओं से महंगे दामों पर घटिया सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। विक्रेताओं को भी पैनल में शामिल होने और समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी की दया पर दर-दर भटकना पड़ता था।

आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय से डिजिटल ई-कॉमर्स पोर्टल में पूर्ण परिवर्तन की तत्काल जरूरत थी जहाँ किसी भी बाधा के बिना आसानी से व्यापार करने की सुविधा हो और साथ ही उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की खरीद और सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी बाज़ार भी उपलब्ध हो। नई प्रणाली की कल्पना सदियों पुराने नियमों और प्रक्रियाओं को बदलने के लिए की गई थी जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती थी।

जेम की उत्पत्ति

सरकारी ई-मार्केटप्लेस की स्थापना देश के सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र को तकनीकी रूप से उन्नत, मजबूत और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से की गई थी।

जेम ने खरीद की प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के जरिये, उच्च प्रक्रिया दक्षता, सूचना साझाकरण, बेहतर पारदर्शिता, कम समय में प्रक्रिया पूरी करने और बोलीदाताओं के बीच उच्च स्तर का विश्वास पैदा किया है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और बचत भी अधिक हुई। जेम में किये गए इन नवाचारों से खरीदारों के लिए समय की बचत और कीमतों में काफी कमी आई और विक्रेताओं का समय पर भुगतान भी सुनिश्चित हुआ है। इसके समावेशी दृष्टिकोण ने एक खुला और विविध सार्वजनिक खरीद बाज़ार तैयार किया है जो स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई), महिला उद्यमियों, कारीगरों और शिल्पकारों को एक समान अवसर प्रदान करता है, जिससे उन्हें बिना किसी बाधा के सरकारी निविदाओं में भाग लेने की अनुमति मिलती है और सरकार के साथ व्यापार करने में आसानी रहती है।

Elite Academy For Education

विकास की दिशा

केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की खरीद प्रक्रियाओं को साकार करने में शामिल व्यापक पैमाने और जटिलताओं को देखते हुए, जेम पर खरीद करना संभवतः विश्व स्तर पर किसी भी सरकार द्वारा किए गए सबसे बड़े डिजिटल परिवर्तन अभ्यासों में से एक रहा है। कई चुनौतियों के बावजूद, पोर्टल से पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या, कुल खरीद और प्लेटफार्म के माध्यम से किए गए संचयी ऑर्डर मूल्य के मामले में साल-दर-साल महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

पहले वर्ष में, जेम के जरिये 420 करोड़ रुपये का कुल सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया गया। अगले कुछ वर्षों में, जेम के माध्यम से किए गए लेनदेन (ऑर्डर मूल्य के संदर्भ में) वित्त वर्ष 20-21 में लगभग 38,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 21-22 में 1 लाख करोड़ रुपये हो गए। वित्त वर्ष 22-23 में, जेम ने 88% की वृद्धि दर्ज की, जो 2 लाख करोड़ रुपये के सकल व्यापारिक मूल्य के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार कर गया। चालू वित्त वर्ष 23-24 में, जेम 3 लाख करोड़ सकल व्यापारिक मूल्य का आंकड़ा पार करने की संभावना है।

प्लेटफ़ॉर्म ने शुरुआत में उत्पाद श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित की थी, जेम ने तेजी से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया और साथ ही सेवा पेशकशों की एक विशाल श्रृंखला को भी इसमें शामिल किया। पिछले 3 वर्षों में तेजी से वृद्धि के साथ, सेवाओं में ऑर्डर मूल्य जेम की विकास कहानी का सबसे उज्ज्वल अध्याय रहा है। वित्तीय वर्ष 21-22 (24,607 रुपये) से वित्तीय वर्ष 22-23 (66,128 रुपये) तक, जेम पर सेवाओं में अभूतपूर्व 168% की वृद्धि देखी गई है, ऑर्डर की संख्या में भी भारी उछाल देखा गया है। संचयी रूप से, स्थापना के बाद से, सरकारी खरीदारों ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 4.8 लाख से अधिक सेवा ऑर्डर दिए हैं।

जेम एक श्रेणी-संचालित ई-मार्केटप्लेस है जिसमें 11,600 से अधिक उत्पाद श्रेणियाँ और 300 से अधिक सेवा श्रेणियों की एक मजबूत सूची है। यह पोर्टल प्रशासन के सभी

स्तरों पर सरकारी निकायों और विभागों द्वारा आवश्यक सभी सामान्य वस्तुओं और सेवाओं को प्रदर्शित करता है।

जेम - इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना

- **एक सुविधा प्रदाता के रूप में जेम:** जेम पोर्टल सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को एक ही मंच पर जोड़ता है।
- **लागत में कमी और दक्षता के माध्यम से परिवर्तन:** जेम ने लागत कम करके, दक्षता बढ़ाकर और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर भारत में सार्वजनिक खरीद में क्रांति ला दी है। यह प्लेटफ़ॉर्म देश भर में खरीदारों और विक्रेताओं को बिना किसी परेशानी के डिजिटल लेनदेन में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है।
- **विक्रेताओं का समावेशी सशक्तीकरण:** जेम महिला उद्यमियों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, एमएसएमई और स्टार्टअप सहित विविध पृष्ठभूमि के विक्रेताओं को सशक्त बनाता है, जो कहीं जाये बिना समय पर भुगतान के साथ, कैशलेस और पेपरलेस पारिस्थितिकी तंत्र के तहत वन-स्टॉप-शॉप की पेशकश करता है।
- **निर्बाध पंजीकरण प्रक्रिया:** जेम की पंजीकरण प्रक्रिया आसानी, सुविधा और न्यूनतम डाटा प्रविष्टि को प्राथमिकता देती है। इसे आधार डाटाबेस के साथ ऑनलाइन एकीकरण के माध्यम से मान्य किया गया है, जो प्राथमिक उपयोगकर्ता पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
- **गतिशील उत्पाद और सेवा प्लेटफ़ॉर्म:** जेम विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की नई श्रेणियों को जोड़कर अपने प्लेटफ़ॉर्म को लगातार अपडेट करता है।
- **विविध खरीद प्रणाली:** जेम प्रत्यक्ष खरीद, एल 1 खरीद, बोली, रिवर्स नीलामी, फॉरवर्ड नीलामी, एकल पैकेट बोली और पुश-बटन खरीद सहित विभिन्न तरीकों से खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- **अनुबंध प्रबंधन:** गति, दक्षता और न्यूनतम मैन्युअल हस्तक्षेप के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जेम निर्दिष्ट तकनीकी मापदंडों और खरीदार द्वारा चुने गए विवरण, जैसे डिलीवरी अवधि और शर्तों के आधार पर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक स्वतः अनुबंध बनाता है। जेम नियंत्रण और ऑडिट ट्रेल के साथ-साथ अनुबंध को अद्यतन करने की कार्यक्षमता भी प्रदान करता है।
- **कैशलेस भुगतान और समय पर लेनदेन:** प्लेटफ़ॉर्म शतप्रतिशत ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करता है, जो वास्तव में कैशलेस की सुविधा प्रदान करता है। इसमें एक भुगतान गेटवे शामिल है जो इंटरनेट बैंकिंग का समर्थन करता है और समय पर भुगतान के लिए लागू समयसीमा के अंदर विभिन्न भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकरण की अनुमति देता है।
- **सूचना दृश्यता:** जेम एमएसएमई, स्थानीय विक्रेताओं और स्टार्टअप के लिए दृश्यता सुनिश्चित करता है, जिससे विक्रेताओं को 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप पोर्टल पर अपलोड किए गए सामान की घरेलू सामग्री का प्रतिशत इंगित करने की अनुमति मिलती है।
- **विश्वास-आधारित रेटिंग प्रणाली:** जेम जैसी विश्वास-आधारित प्रणाली में, रेटिंग समग्र प्रणाली का एक प्रमुख घटक बन जाती है। जेम एक ऐसी रेटिंग प्रणाली प्रदान करता है जिसमें परिभाषित मापदंडों के आधार पर प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। जेम में खरीदारों और विक्रेताओं दोनों की रेटिंग का प्रावधान है, जिससे उचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- **मांग का पूर्वानुमान:** जेम खरीदारों द्वारा उनकी वार्षिक खरीद योजना के लिए उनके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर प्लेटफ़ॉर्म पर महत्वपूर्ण खरीद डाटा प्रदर्शित करता है। इससे विक्रेताओं को बेहतर योजना बनाने और कम दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
- **तर्कसंगत मोलभाव स्थापित करना:** जेम खरीदारों को उचित कीमत पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के उपकरण प्रदान करता है। इसमें अन्य ई-कॉमर्स साइटों (जहां भी उपलब्ध हो) पर कीमतों की तुलना, एमआरपी पर छूट, जेम पर की गयी अंतिम खरीद का मूल्य और हाल के दिनों में समान वस्तुओं के लिए जेम पर किए गए लेनदेन का मूल्य शामिल हैं।
- **प्रशिक्षण:** जेम उपयोगकर्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और प्लेटफ़ॉर्म पर नेविगेट करने में मदद करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री और सहायता प्रदान करता है जिससे इसके उपयोगकर्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पोर्टल के माध्यम से खरीद में विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को प्रमाणित करने के लिए ई-खरीद प्रमाणन और प्रशिक्षण मॉड्यूल डिजाइन किया गया है।
- **संपर्क और सहायता:** जेम अपने हितधारकों के साथ संपर्क के लिए एक मानकीकृत और एकल चैनल उपलब्ध कराता है। यह सभी हितधारकों को जेम से संबंधित सभी प्रासंगिक परिवर्तनों, नोटिसों और उत्पाद या सेवा श्रेणियों के अपडेट, वस्तुओं के तकनीकी मापदंडों में बदलाव

Elite Academy For Education & Training Delhi

या नीलामी की लगाई गई बोली में किये गए संशोधन आदि के बारे में अपडेट रखने के लिए सूचना भेजता है। उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए एसएलए के साथ एक एस्केलेशन मैट्रिक्स लागू किया गया है।

- **उत्तरदायी संपर्क केंद्र:** जेम का अति आधुनिक संपर्क केंद्र है जो कई भाषाओं में सुलभ है और विभिन्न माध्यमों के जरिये उपयोगकर्ता के प्रश्नों का समाधान करता है। एकीकृत चैटबॉट, आस्क जेममाई उपयोगकर्ता के प्रश्नों को उचित टीम तक पहुंचाता है।
- **विवाद समाधान सुविधा:** जेम ने 'विवाद से विश्वास-II' (संविदात्मक विवाद) की शुरुआत की है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए एक बेहतरीन सुविधा है।
- **एएल-एमएल-आधारित निर्णय की सुविधा:** विसंगतियों और धोखाधड़ी को कम करने के लिए जेम एएल-एमएल-आधारित उन्नत विश्लेषण करने वाला फीचर लागू करने जा रहा है। ये एआई-आधारित मॉडल जेम पर होने वाले विभिन्न लेनदेन पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया प्रदान करेगा और खरीदार को उचित निर्णय लेने के साथ-साथ असंगत लेनदेन को रोकने में मदद करेगा।
- **जेम सहाय:** एमएसएमई और स्टार्टअप के सामने आने वाली ऋण हासिल करने की चुनौतियों के समाधान के लिए जेम सहाय शुरू किया गया है। यह मोबाइल ऐप एमएसई और स्टार्टअप को आसानी से वित्त प्राप्त करने में मदद करता है। इसके जरिए वे जेम प्लेटफॉर्म पर आदेश स्वीकार करने के साथ ही ऋण भी हासिल कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विनियमित सभी ऋणदाताओं को जेम पर बिक्री करने वालों को ऋण मुहैया कराने की इजाजत देता है।
- **अत्याधुनिक जेम प्लेटफ़ॉर्म:** जेम ने अपने उपयोगकर्ताओं की आसानी के लिए और अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग के साथ नेक्स्ट-जेन जेम प्लेटफॉर्म को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक नए प्रबंधित सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ अनुबंध किया है।

भविष्य के लिए रोडमैप

जैसे-जैसे यह प्लेटफॉर्म विकसित हो रहा है और महत्वपूर्ण सुधार ला रहा है, यह विकास के अगले पड़ाव की शुरुआत कर रहा है, इससे राज्यों में खरीद की प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है। जेम का रणनीतिक फोकस सभी स्तरों पर सरकारी खरीदारों को अपने मजबूत ई-खरीद बुनियादी ढांचे में एकीकृत करके अपनी पहुंच का विस्तार करने पर है। ज्यादा से ज्यादा राज्य अब जेम के माध्यम से खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस प्लेटफॉर्म ने उन्नयन की संरचना संबंधी चुनौतियों का सामना करने तथा खरीददारों और विक्रेताओं की बढ़ती मांगों की पूर्ति के लिए एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग का उद्देश्य मौजूदा प्लेटफॉर्म को बरकरार रखते हुए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सुधार और पुनर्रचना के जरिए एक नया आधुनिक समाधान तैयार करना है। अनुकूलनीय डिजाइन से नए विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर आने में सहूलियत होगी। इससे विक्रेता आधार ज्यादा विविधतापूर्ण बनेगा और विक्रेताओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसके अलावा इससे समावेशन में वृद्धि होगी और सार्वजनिक क्षेत्र के इस बाजार तक पहुंच का ज्यादा लोकतांत्रीकरण होगा।

संवर्द्धित जेम संभावित घोटालों का पता लगाने, अधिक सटीक अनुमानों के लिए बेहतर डाटा एनालिटिक्स प्रदान करने तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्नत कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करेगा। उसे भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के उद्देश्य से ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है जिससे उस पर ग्राहकों को खरीद का ज्यादा गहन अनुभव प्राप्त होगा। जीईएम खरीददारों को डाटा और अंतर्दृष्टि के आधार पर खरीद का मौका देकर उनके निर्णय को निर्देशित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह हरित उत्पादों और सेवाओं की अपनी सूची का विस्तार कर रहा है जिससे देश को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। यह प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों और सेवाओं को लक्ष्य कर पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवहनीय वस्तुओं और सेवाओं को सूचीबद्ध करने और उन्हें उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देता है।

जेम का खरीददार-विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र और उसका कामकाज थोड़े समय में ही एमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के मिलेजुले दायरे से भी दोगुना बड़ा हो गया है। उसने एक ऐसी अवसंरचना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है जो डाटा एकत्र करने के साथ ही सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं की शुरुआत से अंत तक की गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। यह सरकारी खरीददारों को प्रतिस्पर्धी दरों पर अनेक विक्रेताओं से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने का अवसर प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म अपने कामकाज में सुधार के साथ ही नए जमाने की प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उपयोगकर्ता के अनुभव में सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि तथा सार्वजनिक खरीद की प्रक्रिया में ज्यादा समावेशन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ❑

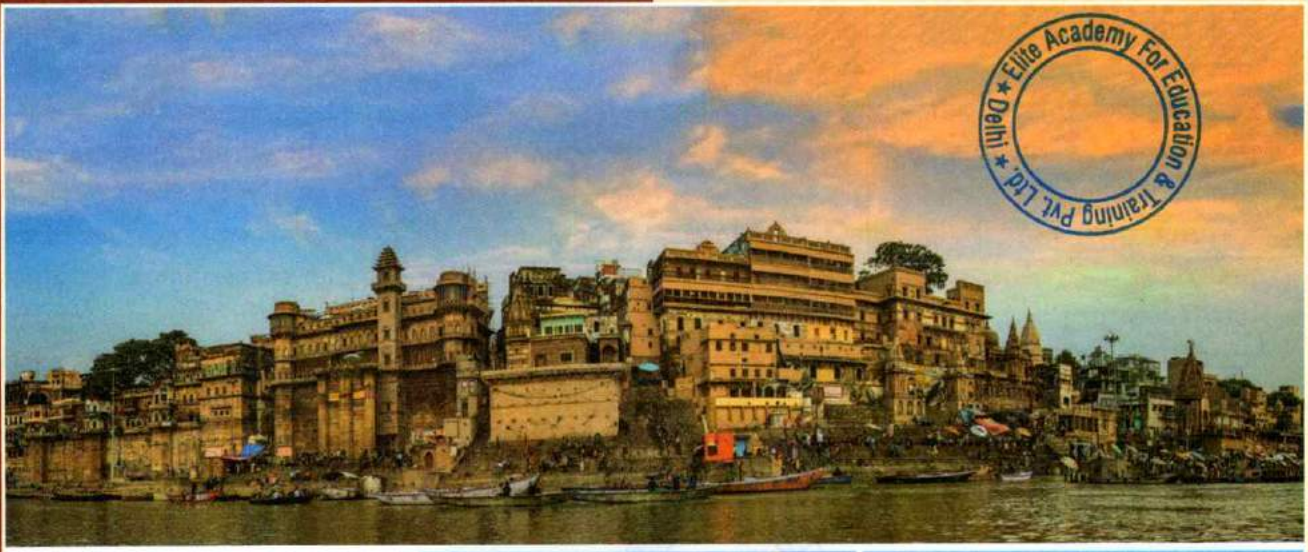

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

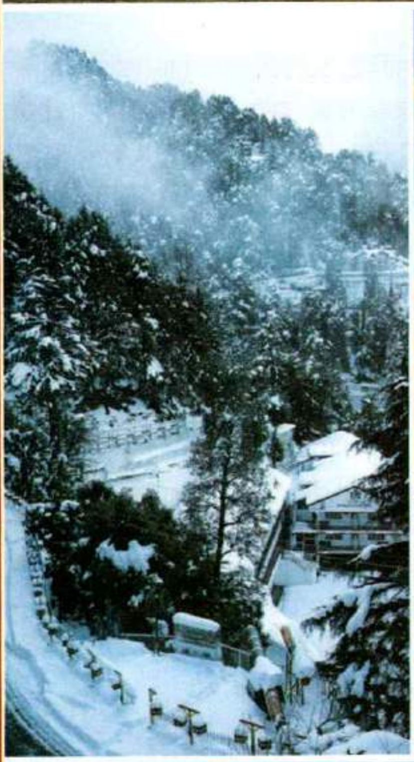

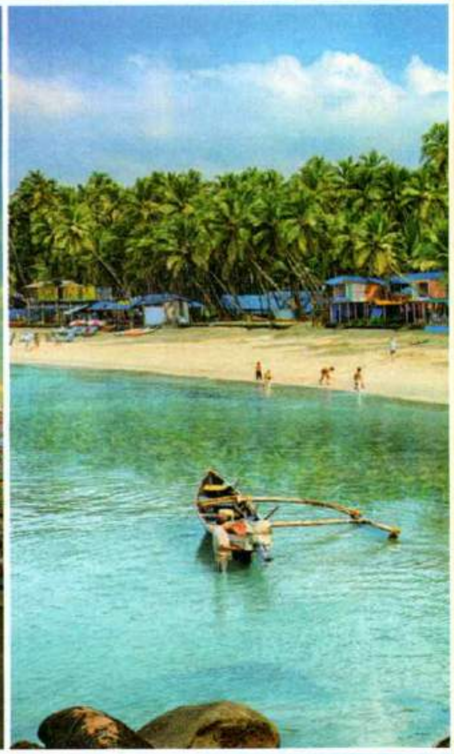

भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से देश में फिल्म निर्माण की सुगमता से जुड़े कार्यक्रमों को सर्वोत्तम तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। फिल्म सुविधा कार्यालय (फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस) की स्थापना के बाद से, यह उन नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। अपने देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को राज्यों में फिल्में बनाने में सक्षम बनाना और सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है।

नीरजा शेखर | अपर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। ईमेल: asmib.inb@nic.in

भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता फिल्म निर्माताओं को उनकी परियोजनाओं की शूटिंग और उन्हें पूरा करने के लिए एक सहायक और मैत्रीपूर्ण इकोसिस्टम प्रदान करने का एक प्रयास है। यह उन्हें विश्व के अन्य स्थानों की तुलना में कम लागत पर फिल्म निर्माण संसाधनों के विशाल पर्यावरण-क्षेत्र का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। यह पूरे भारत में सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता, प्रतिभाशाली उत्पादन संसाधन के साथ-साथ प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं की एक शृंखला के साथ विभिन्न फिल्मांकन केंद्र प्रदान करता है। भारत का भूगोल एक विदेशी फिल्म निर्माता को देश के रेगिस्तानों, नदियों, पहाड़ों, समुद्र तटों, ग्रामीण और शहरी परिदृश्यों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करता है। भारत में दर्शकों का एक ऐसा वर्ग भी है, जो सिनेमा को पसंद करता है और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में अपने शहर, कस्बों और स्थानीय दृश्यों को देखना पसंद करता है। ये सभी कारक विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए भारत को आदर्श फिल्म गंतव्य बनाते हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम - राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के तहत 2015 में फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना की। भारत में अन्य देशों के फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के संदर्भ में प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। एफएफओ अपने वेब पोर्टल www.ffo.gov.in के माध्यम से फिल्म निर्माताओं के लिए एकल सुविधा बिंदु के रूप में कार्य करता है। साथ ही, उन्हें विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक एजेंसियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने में सहायता करता है। इतना ही नहीं, उन्हें शूटिंग के स्थानों के साथ-साथ प्रोडक्शन/पोस्ट-प्रोडक्शन कार्यों के संदर्भ में भारतीय फिल्म उद्योग के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। यह राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि ऐसी सुविधाएं स्थापित करने में उनकी सहायता की जा सके। 2019 से, एफएफओ घरेलू फिल्म निर्माताओं को अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने में सुविधा प्रदान कर रहा है।

जनवरी 2023 से, एफएफओ भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी - इन्वेस्ट इंडिया के तहत काम कर रहा है। इससे एफएफओ को भारत को फिल्म निर्माण के एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का लाभ उठाने में मदद मिली है। यह फिल्म निर्माताओं के लिए स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक की यात्रा में एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। एफएफओ द्वारा प्रदान की गई सुविधा के अलावा, राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष सुविधा भी दी जाती है। कई राज्यों के पास अपने स्वयं के स्वतंत्र पोर्टल हैं और वे सीधे आवेदनों पर विचार करते हैं। कारोबारी सुगमता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए एफएफओ के संशोधित पोर्टल में सभी राज्यों के पोर्टलों को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

देश में फिल्म निर्माण की सुगमता की प्रणाली निम्नलिखित उपायों के माध्यम से काम करती है:

1. फिल्म शूटिंग और रेकी के लिए विदेशी फिल्म निर्माताओं

को फिल्म (एफ) वीज़ा जारी करना

2. विदेशों में भारतीय मिशनों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
3. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
4. फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली
5. विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म उपकरणों को लाने की सुविधा प्रदान करना
6. निम्नलिखित को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना-
   क. भारत में शूटिंग कर रहे विदेशी फिल्म निर्माताओं को
   ख. आधिकारिक तौर पर भारतीय साझेदार के साथ फिल्मों का सह-निर्माण करने वाले फिल्म निर्माताओं को
7. स्वत: रूट से एफडीआई

फिल्म सुविधा से संबंधित कुछ आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

- 39 देशों की 197 अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की गई
- 16 देशों में से 10 से 20 आधिकारिक सह-उत्पादन, जिनके पास ऑडियो विजुअल सह-उत्पादन समझौते हैं
- 2019 से 129 घरेलू परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की गई
- 1500 से अधिक फिल्म वीज़ा सुविधा प्रदान की गईं।

कई राज्यों द्वारा अपने स्वयं के वेब पोर्टल के माध्यम से फिल्म शूटिंग परियोजनाओं की सीधी सुविधा भी दी जाती है, जो इन आंकड़ों के अतिरिक्त है। हालाँकि, सरकार के सह-उत्पादन समझौतों के तहत आधिकारिक सह-उत्पादन कार्यों की घोषणा और सुविधा और वीज़ा सुविधा पूरी तरह से एफएफओ द्वारा की जाती है। निम्नलिखित पहलू भारत में फिल्म निर्माण को आसान बनाते हैं:

फिल्म वीज़ा जारी करना

केंद्र सरकार ने 2016 में विदेशी प्रोडक्शन के कलाकारों और उनके सहयोगियों के लिए फिल्म (एफ) वीज़ा नामक एक विशेष श्रेणी के वीज़ा की शुरुआत की है, जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म निर्माण की अनुमति दी गई है। यह वीज़ा एक साल के मल्टीपल-एंट्री वीज़ा के रूप में दिया जा सकता है, जो प्रत्येक यात्रा के लिए वीज़ा के आवेदनों के बारे में चिंता किए बिना परियोजना को कई शेड्यूल पर शुरू करने में सक्षम करेगा। विदेश में 158 भारतीय मिशनों के नोडल अधिकारी एफएफओ की सिफारिश पर अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के कलाकारों और सहयोगियों को फिल्म (एफ) वीज़ा जारी करने की सुविधा प्रदान करते हैं। टेनेट, एक्सट्रैक्शन, लंदन हैज फॉलन, द बॉर्न सुप्रीमेसी,

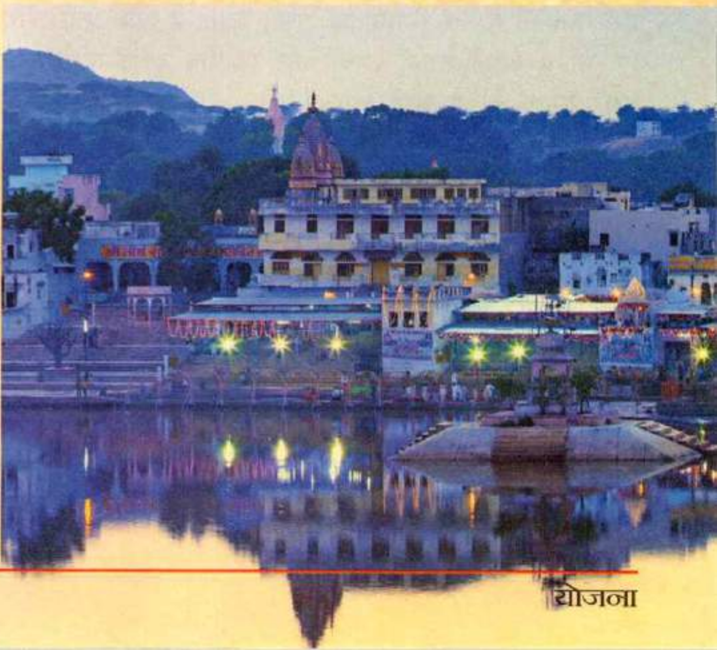

वैनगार्ड, एंड टुमॉरो वी विल बी डेड एफएफओ द्वारा समर्थित कुछ अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, इट प्रे लव, द डार्क नाइट राइजेज़, वायसराय हाउस, मिलियन डॉलर आर्म, लायन जैसी कई अन्य फिल्में भी भारत में शूट की गईं।

फिल्म वीज़ा उन फिल्म निर्माताओं के लिए भी उपलब्ध है, जो रेकी के लिए उपयुक्त स्थानों पर जाने का इरादा रखते हैं। विज्ञापन फिल्मों/एवी विज्ञापनों/डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की शूटिंग के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को 'जे' वीज़ा दिया जाता है, बशर्ते विदेश मंत्रालय ने परियोजना/प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हो।

एफएफओ सीमा शुल्क रियायत पत्र जारी करके विदेशी फिल्म निर्माताओं द्वारा भारत में फिल्म उपकरणों के प्रवेश की सुविधा भी प्रदान करता है।

Elite Academy For Education Delhi

फिल्म निर्माण में सुगमता की मुख्य विशेषताएं

- बिना भौतिक आवेदन के ऑनलाइन स्वीकृतियां
- अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकरण
- भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन
- फिल्म वीज़ा सुविधा
- भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों / संस्थाओं में नोडल अधिकारी
- फिल्मों में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

अनुमति प्रक्रिया

फिल्म शूटिंग के लिए: विदेशी शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया और ऑडियो-विजुअल सह-उत्पादन समझौतों के तहत आधिकारिक सह-उत्पादन का दर्जा देने की विस्तृत चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका एफएफओ वेब पोर्टल www.ffo.gov.in पर दी गई है। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से राष्ट्रीय अनुमति के लिए आवेदन करते समय 225 अमेरिकी डॉलर (समतुल्य भारतीय रुपये) का आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है। स्थान विशिष्ट अनुमति शुल्क, यदि कोई हो, संबंधित राज्य प्राधिकरण को ऑनलाइन जमा करना होगा। गैर-प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में सामान्यतः 3 सप्ताह से अधिक का समय नहीं लगता है। आवेदकों को 30 दिन पहले आवेदन करना होगा।

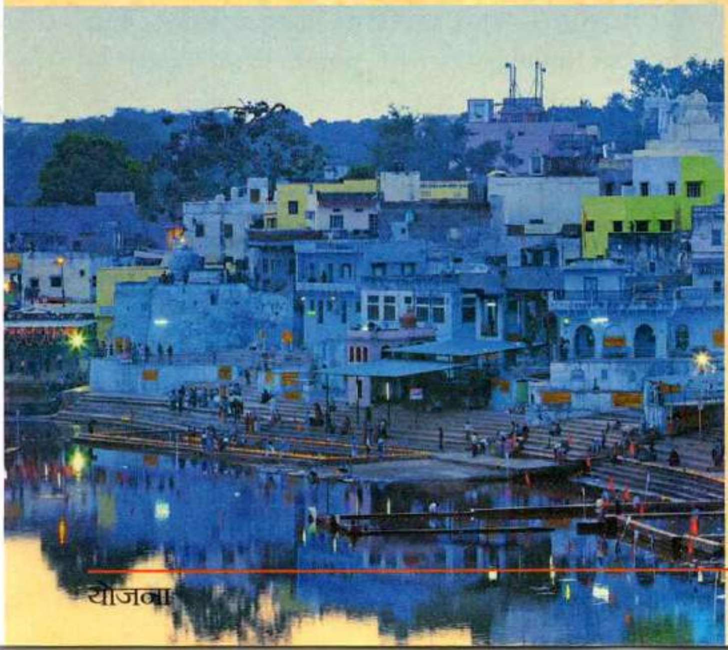

रेकी के लिए: रेकी की अनुमति के लिए, आवेदन में स्पष्ट रूप से गतिविधियों की सटीक घोषणा करनी चाहिए और इसे ffo@nfdcindia.com पर एक ईमेल के रूप में भेजा जाना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सिफारिश पर भारतीय मिशन/पोस्ट स्थान-आधारित रेकी के लिए उचित अवधि के लिए फिल्म वीज़ा जारी कर सकते हैं।

उपकरण के लिए: फिल्म निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन करते समय, आवेदक उन उपकरणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें वे प्रदान किए गए प्रारूप में ले जाना चाहते हैं, साथ ही एक शपथपत्र/बांड के साथ यह उल्लेख करना होगा कि उपकरण को फिर से निर्यात किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तदनुसार उपकरण सूची और शपथपत्र/बांड के प्रावधान पर एक सीमा-शुल्क रियायत पत्र जारी करता है। सीमा-शुल्क रियायत पत्र की प्रक्रिया और उसे जारी करने के लिए न्यूनतम 7 कार्यदिवस आवश्यक हैं। देश में आगमन पर यह पत्र सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों को दिखाना होगा।

एफएफओ वेब पोर्टल

फिल्म निर्माण के संदर्भ में कारोबारी सुगमता को और भी अधिक बढ़ावा देने के लिए, एफएफओ ने एक वेब पोर्टल www.ffo.gov.in की स्थापना की। यह वेब पोर्टल भारत में फिल्म शूटिंग से संबंधित अनुमतियों की सुविधा के साथ-साथ भारत में फिल्म निर्माण की सुविधाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए एकल खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करता है। एफएफओ वेब पोर्टल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), भारतीय रेल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), तटरक्षक बल आदि और

अधिकांश राज्य सरकारों के साथ भारतीय फिल्म निर्माण अनुमति प्रणाली जुड़ी हुई है। उपयोगकर्ता को निर्बाध अनुभव के लिए इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया गया है। एफएफओ वेब पोर्टल को हाल ही में घोषित वित्तीय प्रोत्साहनों सहित नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं के साथ अद्यतन रखने के लिए व्यापक रूप से नया रूप दिया जा रहा है।

एफएफओ ने वेब पोर्टल पर अपने सह-निर्माता पृष्ठ पर उन निर्माताओं की जानकारी संकलित की है, जिन्होंने हाल के दिनों में सह-निर्माण किया है। एक ऑनलाइन खोजने योग्य लोकेशन डाटाबेस के साथ-साथ लाइन प्रोड्यूसर की एक सूची भी है, जिन्होंने 2016 से भारत में दो या दो से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियों को निष्पादित किया है। यह विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में काम करने के लिए भारतीय भागीदारों की तलाश करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है।

संघवाद को बढ़ावा और राज्य सरकारों के साथ कार्य

40 से अधिक भाषाओं में बनी फिल्मों और मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम आदि शहरों में फैले प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्रों के साथ, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को एक साथ लाकर फिल्म निर्माण की सुगमता से जुड़े कार्यक्रमों को सर्वोत्तम तरीके से लागू किया गया है। फिल्म सुविधा कार्यालय (फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस) की स्थापना के बाद से, यह उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। अपने देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को राज्यों में फिल्में बनाने में सक्षम बनाना और सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये नोडल अधिकारी फिल्मांकन की अनुमति के लिए जिम्मेदार हैं और एफएफओ और नोडल अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क कायम रहता है। राज्यों को फिल्म शूटिंग और निर्माण के लिए आधिकारिक नीतियां बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें प्रोत्साहन योजनाएं भी शामिल हैं, ताकि उनके राज्यों में अधिक से अधिक फिल्म निर्माण की परियोजनाओं को आकर्षित किया जा सके।

राज्य अपने फिल्म स्थानों और फिल्म नीतियों को बढ़ावा देने के लिए भारत और विदेशों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेते हैं। मार्चे डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में 2022 में कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस में भारत की भागीदारी का लाभ भारतीय फिल्म निर्माण के स्थानों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। बर्लिन, वेनिस, टोरंटो में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और अन्य प्लेटफार्मों का उपयोग भारत को फिल्म निर्माण के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। फिल्म बाजार, हर साल 20-24 नवंबर के दौरान आयोजित होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा का फिल्म बाजार घटक, राज्यों के लिए फिल्म निर्माताओं को अपनी सुविधाओं, बुनियादी ढांचे, फिल्म स्थानों और प्रोत्साहन नीतियों को प्रदर्शित करने का एक और अवसर है।

मंत्रालय ने राज्यों को फिल्म निर्माता के अनुकूल नीतियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट

(एमएफएफएस) सूची पेश की है। यह रैंकिंग राज्यों द्वारा फिल्मांकन में आसानी के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर की गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम ऐसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में एमएफएफएस पुरस्कार जीता है।

फिल्म प्रोत्साहन

भारत में ऑडियो विजुअल क्षेत्र को 'चैंपियन सर्विसेज सेक्टर' के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो क्षेत्रीय पहलों का समर्थन करने के लिए सरकार की एक व्यापक योजना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय ने उन विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, जो भारत में अपनी फिल्मों का निर्माण करना चाहते हैं। मई 2022 में घोषित योजना को नवंबर 2023 में और संशोधित किया गया है। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा 20 नवंबर, 2023 को गोवा में 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की गई थी। संशोधित योजना के अनुसार, विदेशी प्रोडक्शन, चाहे वह लाइव शूट, आधिकारिक सह-प्रोडक्शन या पोस्ट-प्रोडक्शन, एनीमेशन और भारत में किए गए विजुअल इफेक्ट सेवाएं हो, भारत में किए गए योग्य उत्पादन व्यय के 40 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी, जो 30 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन होगी। योजना के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत लाभ प्राप्त करने में फिल्म निर्माताओं के बीच जबरदस्त रुचि देखी गई है। दिसंबर 2023 तक, 13 परियोजनाओं ने प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया है।

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र को बढ़ावा

भारत में एवीजीसी क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में एवीजीसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के तरीके सुझाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की है। टास्क फोर्स की कुछ सिफारिशों के हिस्से के रूप में, विदेशी प्रस्तुतियों द्वारा भारत में किए गए एनीमेशन, विजुअल इफैक्ट और पोस्ट-प्रोडक्शन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना को उदार बनाया गया है। महत्वपूर्ण भारतीय सामग्री (एसआईसी) वाली परियोजनाओं के लिए भारत में होने वाली लागत का 5 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय आईपी और भारतीय सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। भारतीय पोस्ट-प्रोडक्शन स्टूडियो ने मनी हीस्ट, जॉन विक 3, द नन, जुरासिक वर्ल्ड, फास्ट एंड फ्यूरियस, स्पाइडरमैन - फार फ्रॉम होम, कैप्टन मार्वल, डेडपूल 2, वंडर वुमन, एंड गेम, कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन - फार फ्रॉम होम, ब्लेड रनर 2049, द विचर, ग्रेविटी, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ट्रांसफार्मर, स्टार वार्स - एपिसोड I, II और III, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज़, ट्रांसफॉर्मर्सः डार्क ऑफ़ द मून, थोरः द डार्क वर्ल्ड, पिनोचियो, लाइफ़ ऑफ़ पाई आदि जैसी कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के एनीमेशन और वीएफएक्स सेगमेंट को पूरा किया है। भारतीय

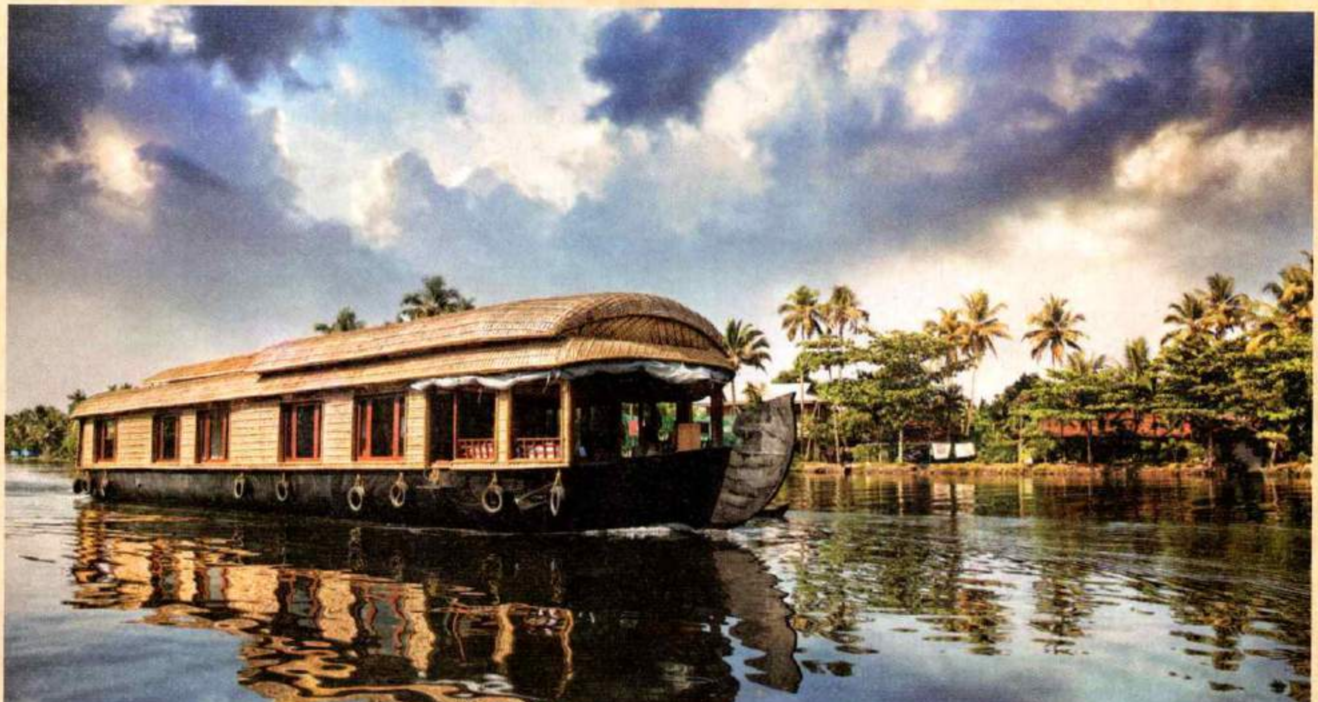

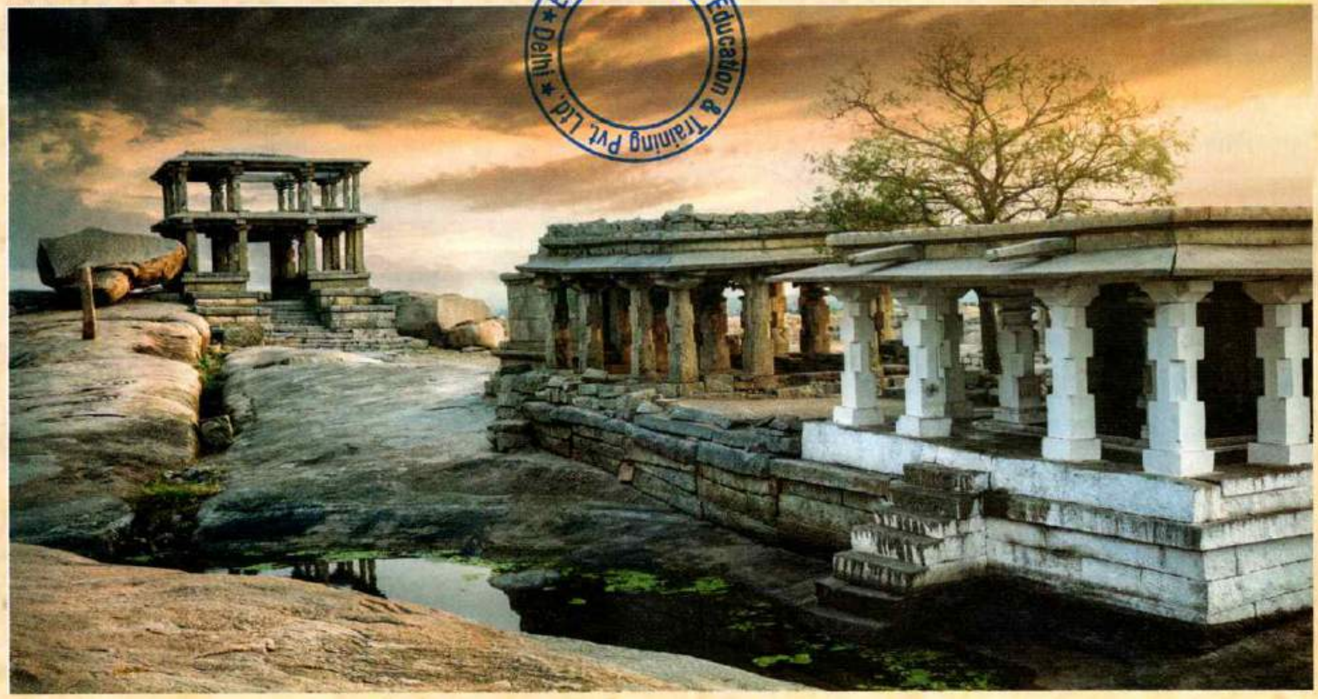

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

कंपनियों ने आरआरआर, बाहुबली, दिलवाले, रा.वन, कृष 3, रईस आदि सहित घरेलू फिल्मों को भी पूरी तरह से सेवा प्रदान की है।

स्वत: रूट से एफडीआई

स्वत: रूट के माध्यम से फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं में अधिकतम शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सक्षम किया गया है।

फिल्म शूटिंग का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। इस उद्योग से जुड़े एक अध्ययन के अनुसार, 80 करोड़ रुपये के बॉक्स ऑफिस संग्रह के साथ एक मध्यम-बड़े बजट की फिल्म (मुख्य अभिनेताओं के लिए भुगतान को छोड़कर, 55-60 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन बजट) पर्यटन से 80 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर सकती है, और प्रोडक्शन टीम के आकार से 37 गुना अधिक पर्यटन संबंधी रोजगार का सृजन कर सकती है। यह माना जाता है कि फिल्म से पर्यटकों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रोत्साहन और सुविधा की एकश्रृंखला के माध्यम से फिल्म निर्माण की सुगमता से देश में अधिक विदेशी परियोजनाएं आती हैं, जिससे फिल्म निर्माण में शामिल विभिन्न कौशल-समूहों के लिए स्थानीय नौकरियों का सृजन; पर्यटन स्थलों की विशेषता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन को बढ़ावा; स्थानीय कहानियों, प्रतिभाओं का सांस्कृतिक प्रचार; विजुअल इफेक्ट, ध्वनि डिजाइनिंग, वर्चुअल रियलिटी जैसी भारतीय पोस्ट-प्रोडक्शन सेवाओं को बढ़ावा और देश की सॉफ्ट पावर के विस्तार, आतिथ्य और पर्यटन से जुड़ी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ❑

स्रोत

1. https://ffo.gov.in
2. https://ffo.gov.in/en/co-productions/international-treaties
3. https://www.arenach.com/top-vfx-studios-in-india-you-never-heard-about/
4. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/about-deloitte/in-about-deloitte-economic-impact-of-the-film-television-and-osv-industry-noexp.pdf

विदेशी फिल्म-निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

- **भारत में फिल्म की शूटिंग**
- **भारत के साथ आधिकारिक सह-उत्पादन**

प्रोत्साहन की विशेषताएं

- **प्रति प्रोजेक्ट 30 करोड़ रुपये ($3.6 मिलियन) तक का प्रोत्साहन**
- **राज्यों द्वारा 4 मिलियन डॉलर तक का प्रोत्साहन, जो राज्यवार भिन्न होता है**
- **योग्य उत्पादन व्यय का 40 प्रतिशत**
- **महत्वपूर्ण भारतीय कंटेंट वाले फिल्मों पर 5 प्रतिशत बोनस**
- **वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए बजट : 150 करोड़ रुपये ($180 मिलियन)**

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को अपराधमुक्त किया गया

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अपराधमुक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए परिचालन तंत्र प्रदान किया गया है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 16 इसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की सज़ा से जुड़ी है। इस धारा में कारावास दंड का प्रावधान था जो पहली बार उल्लघंन करने पर 2 साल तक का था और उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन के लिए उसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता था।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को ज्यादा बिज़नेस-फ्रेंडली बनाने और इस क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से धारा 16 के अंतर्गत निर्दिष्ट दंडों की फिर से परख की गई और जन विश्वास (प्रावधान में संशोधन) अधिनियम, 2023 के जरिए इन्हें अपराधमुक्त किया गया। कारावास के इन प्रावधानों की जगह अब मौद्रिक दंड और सलाह, चेतावनी, निंदा जैसे अन्य गैर-मौद्रिक उपायों को लाया गया है। इसके अलावा, धारा 16 अब नामित अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील तंत्र की व्यवस्था भी करती है। धारा 17 और 18 को निरर्थक होने के कारण हटा दिया गया।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रावधानों को अपराधमुक्त करने के कुछ लाभ हैं:

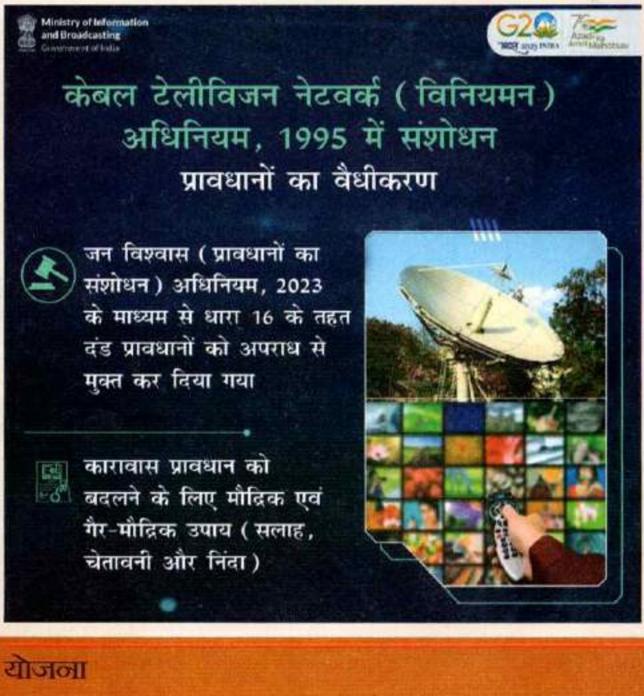

1. इन संशोधनों से संभावना है कि छोटे या गैर-इरादतन उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील होकर कठोर दंड देने के बजाय ये इस अधिनियम के अनुपालन को बढ़ावा देंगे। दंड का जो दायरा है उसमें सलाह, निंदा और चेतावनियों को शामिल करने से पता चलता है कि केवल उल्लंघनों को दंडित करने के बजाय अनुपालन के प्रति शिक्षित करने और प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया गया है।
2. ये संशोधित प्रावधान दंडों की एक शृंखला का इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, जो विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के जवाब में लचीलापन प्रदान करते हैं। यह उल्लंघन की प्रकृति, विशिष्टता और गंभीरता के प्रति ज्यादा आनुपातिक प्रतिक्रिया की अनुमति देता है।
3. इन नियमों में यह संशोधन जुर्माना लगाने के लिए एक 'नामित अधिकारी' को परिभाषित करता है। यह प्रवर्तन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और आपराधिक न्याय प्रणाली को बोझ से मुक्त करने के अलावा इसे सरल बनाता है।
4. यह संशोधित प्रावधान स्पष्ट रूप से बाद के उल्लंघनों को संबोधित करता है और भारी दंडों का प्रावधान करने के अलावा, पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने के प्रावधान भी शामिल करता है। यह निरंतरता को बढ़ावा देता है और आदतन या बार-बार होने वाले उल्लंघनों को हतोत्साहित करता है।
5. इससे अपील तंत्र को शामिल किए जाने से व्यक्तियों या संस्थाओं को संबंधित दंड या फैसलों को चुनौती देने का अवसर मिलता है। यह तंत्र एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है।
6. केबल उद्योग में 'प्लेटफ़ॉर्म सेवाएं' और 'स्थानीय केबल ऑपरेटर' जैसे सामान्य शब्दों की परिभाषा को पहली बार नियमों में परिभाषित किया गया है ताकि उनके उपयोग में एकरूपता लाई जा सके।

वर्तमान में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ 1400 से अधिक मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर पंजीकृत हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाने और उनकी जगह सिविल पैनल्टी लाने से हितधारकों का विश्वास बढ़ेगा और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा मिलेगा। ❑

(स्रोत: पीआईबी)

मोदी सरकार की गारं

निभाया हर वादा

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण

लोक सभा में **महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व सुनि**

जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ नल कनेक्शनों से **हर घर पहुंचाया स्वच्छ जल**

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों से **महिलाओं के लिए स्वच्छता और सम्मान सुनिश्चित**

उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन से **100% धुआं-मुक्त रसोई**

> सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
>
> **- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी**

गरीबों और मध्यम वर्ग का जीवन आसान

सौभाग्य योजना के तहत **भारत के 100% गांवों का विद्युतीकरण**

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत गरीबों का **₹ 5 लाख तक का मुफ्त इलाज**, अब तक **28 करोड़ आयुष्मान कार्ड** जारी

4 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत **80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन**

हमारा संकल्प विकसित भारत

आधुनिक कृषि से किसानों की समृद्धि

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिना बिचौलियों के **11 करोड़ किसानों को हर साल ₹ 6,000 का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर**

पीएम फसल बीमा योजना के तहत **किसानों के लिए कम दरों के प्रीमियम पर फसल बीमा कवर**

1.6 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों पर **अत्याधुनिक कृषि सुविधाएं**

23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्डों से **मृदा उत्पादकता में सुधार**

युवाओं के लिए बढ़ते अवसर

विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए **15 एम्स, 7 आईआईटी, 7 आईआईएम और 260 मेडिकल कॉलेज** स्थापित

1 लाख से अधिक नए स्टार्टअप के साथ **भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्ट अप इकोसिस्टम में शामिल**

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ₹ 23 लाख करोड़ की राशि के **43 करोड़ से अधिक बिना गारंटी लोन**

युवाओं की "कैन-डू" भावना ने टोक्यो 2021 ओलंपिक और पैरालंपिक में इतिहास रचा

CBC 22201/13/0085/2324
YH-2564/2023

जीएसटी और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस

" 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में सुगमता) के उद्देश्य से प्रमुख कर सुधार के रूप में जीएसटी को लागू किए पांच वर्ष हो चुके हैं और इससे 'एक राष्ट्र, एक कर' का विज़न भी पूरा हुआ है।"

– भारत के माननीय प्रधानमंत्री
जीएसटी की पांचवीं वर्षगांठ पर

राघवेन्द्र पाल सिंह | भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) के अधिकारी और निदेशक/अतिरिक्त आयुक्त, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, जीएसटी पॉलिसी विंग, नई दिल्ली। ईमेल: raghavendra.singh@gov.in

'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाज़ार' की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज़ादी के बाद वस्तु और सेवा कर-जीएसटी अप्रत्यक्ष करों में लागू किया सबसे बड़ा सुधार है। जीएसटी लागू होने के साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्द्धित कर 'वैट', क्रय कर, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर, स्वायत्त निकाय कर, विलासिता कर, चुंगी इत्यादि अनेक केंद्रीय और राज्य कर समाप्त हो गए। इससे आर्थिक अवरोध कम हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर समेकित अर्थव्यवस्था विकसित करने का रास्ता खुल गया है। करों के मूल्यों पर पड़ने वाले तीव्र प्रभाव को कम करके जीएसटी ने समूचे व्यापार परिवेश में सुधार लाकर कारोबार को सरल-सुगम बनाने के उद्देश्य से बाज़ारों में स्पर्धा की भावना विकसित की है।

नतीजा यह हुआ कि विगत छह वर्षों में जीएसटी का कर आधार 67.8 लाख से बढ़कर करीब 1.4 करोड़ हो गया और अप्रैल, 2023 में 1,87,035 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व एकत्र हुआ जो अब तक का सर्वाधिक है। नवम्बर, 2023 में मासिक राजस्व संग्रह, 1,67,929 करोड़ रुपये रहा जिसमें ईयर ऑन ईयर अर्थात् वार्षिक वृद्धि के आधार पर सर्वाधिक 15 प्रतिशत वृद्धि हुई।

जीएसटी अनुपालन को कम करने, राज्यों में माल के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने, कानूनों, प्रक्रियाओं, कर की दरों, सामान्य परिभाषाओं और इंटरफेस को माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के माध्यम सुसंगत बनाने पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड की कार्य-दक्षता बढ़ती है और आपसी तालमेल बेहतर होता है। इससे नियमों और प्रक्रियाओं के परिचालन की लागत कम की जा सकती है तथा विभिन्न कर प्राधिकारों के लिए कई प्रकार के रिकॉर्ड रखने की जरूरत भी नहीं रहती। इस प्रकार करदाता को कम संसाधन और जनशक्ति लगाने की आवश्यकता पड़ती है।

जीएसटी की इतनी जबरदस्त कामयाबी का श्रेय स्वचालन (कंप्यूटरीकरण) और मानकीकरण को दिया जा सकता है। किसी भी व्यापार-चक्र के लिए पूंजीकरण आवेदन से लेकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड के लिए आवेदन करने, नोटिसों का जवाब देने, अपील दायर करने जैसे सभी कार्य ऑनलाइन हो जाने के कारण कर अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क

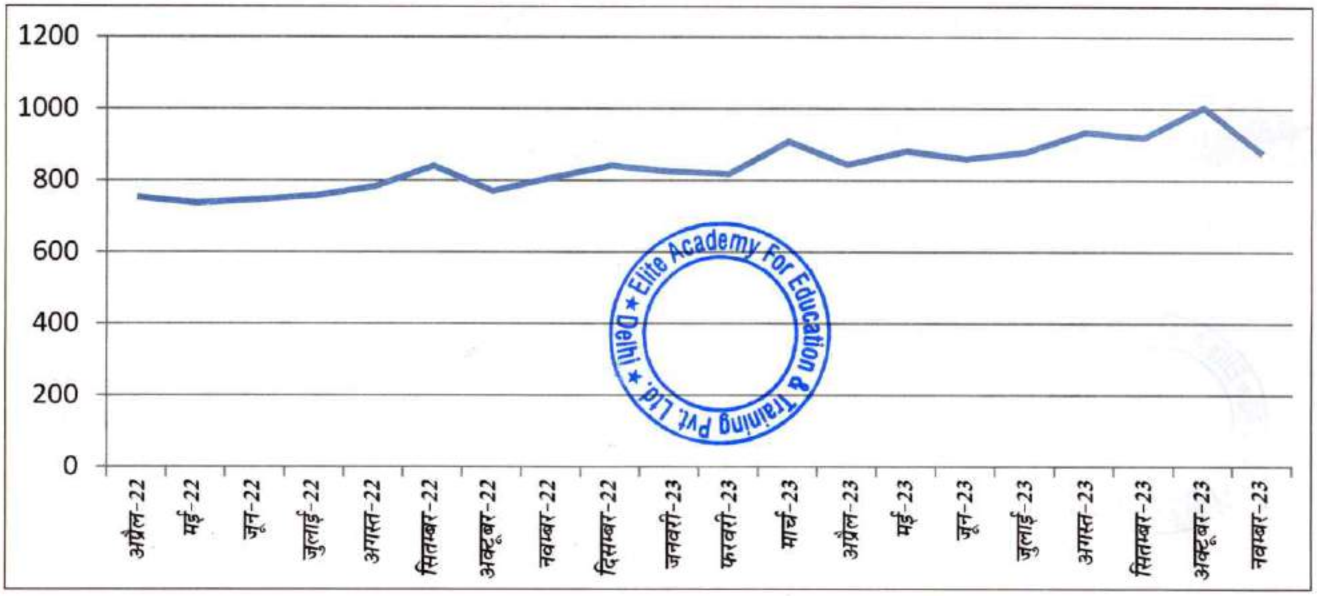

चित्र 1 : मासिक आधार पर ई-वे बिल (लाख में)

रखने का झंझट पूरी तरह समाप्त हो गया है। 'कारोबार करने की सुगमता' के यही आवश्यक घटक हैं।

पंजीकरण : जीएसटी पंजीकरण पैन आधारित होता है और राज्यवार किया जाता है। जो भी व्यापार इकाई भारत भर में 40 लाख रुपये या अधिक मूल्य की (निर्दिष्ट राज्यों के लिए 20 लाख रुपये की) वस्तुओं की सप्लाई करे और 20 लाख रुपये मूल्य की (निर्दिष्ट राज्यों के लिए 10 लाख रुपये मूल्य की) सेवाएं प्रदान करे उसे जीएसटी पंजीकरण कराना पड़ता है। आवेदन के सात दिन के भीतर कर-प्रशासन को जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य होता है; जोखिम वाली परिस्थितियों में आधार कार्ड से जुड़े प्रमाणीकरण या व्यक्तिगत पुष्टिकरण में अधिक समय लग सकता है। आकस्मिक/अप्रवासी करदाताओं तथा विदेशी राजनयिक मिशनों के जिन लोगों को भारत में कर नहीं देना पड़ता उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लगातार रिटर्न दाखिल न करने के कारण पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में सभी बकाया रिटर्न भरकर पंजीकरण को फिर शुरू करने की व्यवस्था उपलब्ध है जिससे करदाता का समय और मेहनत बच जाती है।

रिटर्न भरना : जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं को हर महीने कई रिटर्न दाखिल करनी होती है जैसे- बाहरी सप्लाई के लिए जीएसटीआर-1, भीतरी (इनवर्ड) सप्लाई के लिए जीएसटीआर-2ए/2बी (जो स्वतः भरी जाती है), कर भरने के लिए जीएसटीआर-3बी, और जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न। ये सभी रिटर्न एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं- जब करदाता एक बार जीएसटीआर-1 दाखिल करता है तो इसमें की गई प्रविष्टियों के आधार पर जीएसटीआर-3बी की कई प्रविष्टयां स्वतः भर जाती हैं जिनमें जरूरी होने पर बदलाव किया जा सकता है। इसी प्रकार इनवर्ड रिटर्न (जीएसटीआर-2ए) भी संबंधित सप्लायरों की ओर से दाखिल जीएसटीआर-1 के आधार पर स्वतः ही भरी जाती है। कोई अंतर होने की स्थिति में करदाता इस व्यवस्था से स्वयं ही सुधार की कार्रवाई कर सकते हैं।

देरी से दाखिल की गई रिटर्न के मामले में लेट-फीस और ब्याज़ का हिसाब भी सिस्टम में स्वतः हो जाता है। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में करदेयताओं के बीच एक तय सीमा से ज़्यादा अन्तर होने पर करदाताओं को सिस्टम से ही सूचना मिल जाती है। इस अन्तर को ठीक करने की सुविधा भी करदाताओं को उपलब्ध रहती है।

फिर, जीएसटीआर-2बी में उपलब्ध कराई आयकर रियायत से ज़्यादा जीएसटीआर में लेने का प्रयास किए जाने पर सिस्टम आगाह कर देता है ताकि करदाता समुचित व्यवस्था कर सके। दो करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को 'फॉर्म-जीएसटीआर-9' भरने से छूट दी गई है। इसी प्रकार 5 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को 'फॉर्म जीएसटीआर-9सी' में मिलान विवरण दाखिल करने की जरूरत अब नहीं रह गई है।

ई-वे बिल : यह वस्तुएं भेजने-मंगाने के लिए भरा जाने वाला दस्तावेज है जिसमें भेजने वाले का नाम, प्राप्त करने वाले का नाम, ट्रांसपोर्टर का नाम, सामान भेजने का मूल स्थान और उसके गंतव्य स्थान का विवरण भरना होता है। समूचे देश के लिए इस बारे में मानकीकरण और समान परिपालन तंत्र लागू है जिसके अंतर्गत वस्तुएं भेजने की शुरूआत करने वाले व्यक्ति को (कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़कर) इस आशय की पूरी जानकारी पहले ही अपलोड करके जीएसटी पोर्टल पर ई-वे बिल जेनरेट करना होगा। इससे वस्तुओं को

भेजने-मंगाने की प्रक्रिया तेजी से होती है, ट्रकों को बदलने में भी कम समय लगता है, तय की गई औसत दूरी बढ़ जाती है और लागत भी कम हो जाती है। इस व्यवस्था के लागू होने से पुरानी व्यवस्था में होने वाली सीमा चुंगी का झंझट भी खत्म हो जाता है। इससे एकीकृत अखिल भारतीय सप्लाई-शृंखला तंत्र स्थापित हुआ है। चित्र-1 में एक तय अवधि में ई-वे बिल जेनरेट करने में उतार-चढ़ाव का विवरण दिया गया है।

ई-इनवॉयस : ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए ई-इनवॉयसिंग अनिवार्य है जिनका समूचे देश में पिछले वित्त वर्ष के दौरान वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा था। जीएसटी इनवॉयस को इनवॉयस पंजीकरण पोर्टल-'आईआरपी' पर भेजना होता है। रिपोर्ट मिलने पर आईआरपी एक विशिष्ट 'इनवॉयस संदर्भ संख्या' (आईआरएन) के साथ डिजिटली हस्ताक्षरित ई-इनवॉयस भेजता है। यह इनवॉयस प्राप्तकर्ता को क्यूआर कोड के साथ भेजा जाता है। ई-इनवॉयस से करदाता को अनेक लाभ मिलते हैं जैसे- जीएसटीआर-1 में इनवॉयसों की ऑटो-रिपोर्टिंग और जरूरी होने पर ई-वे बिल का ऑटो-जैनरेशन/ई-इनवॉयस से मानकीकरण और अंतर-संचालन क्षमता बनाने में मदद मिलती है जिससे आपसी कारोबार वाली पार्टियों के विवाद कम होते हैं, भुगतान-चक्र बेहतर होता है, प्रोसेसिंग का खर्च कम होता है जिससे व्यापार की समग्र कुशलता भी बढ़ जाती है। वास्तव में ई-इनवॉयस व्यवस्था लागू होने से कागजों का इस्तेमाल न के बराबर रह जाता है जिससे व्यापार में होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी कम रहता है। चित्र-2 में एक अवधि में ई-इनवॉयसिंग का रुझान दर्शाया गया है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम , 2023

फार्मेसी अधिनियम, 1948

धारा 41 के तहत अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दवा का वितरण करने पर जुर्माना और बाद में दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की कैद की सजा हो सकती है। यह देखते हुए कि ये गंभीर मुद्दे हैं जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करते हैं, इन अपराधों के लिए कारावास की धाराएं कम कर दी गई हैं और छह महीने से तीन महीने तक बरकरार रखी गई हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रभावी निवारण अभी भी मौजूद है।

स्रोत: डीपीआईआईटी

Elite Academy For Education Training Pvt. Ltd. * Delhi *

रिफंड : मौजूदा संयंत्रों और मशीनरी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कार्य-पूंजी उपलब्ध कराने के लिए रिफंड की मंजूरी समय पर देना जरूरी है। जीएसटी व्यवस्था में रिफंड प्रक्रिया मानक, सरल, समयबद्ध और टेक्नोलॉजी-चालित होती है जिससे करदाता और कर-अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क की कम से कम जरूरत पड़े। निर्यात की जाने वाली वस्तु पर लगने वाले आईजीएसटी यानी इनपुट जीएसटी का निर्यातक की ओर से कस्टम विभाग में दाखिल किए जाने वाले शिपिंग बिल तथा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के आधार पर पूरी तरह स्वचालित तरीके से रिफंड मिल जाता

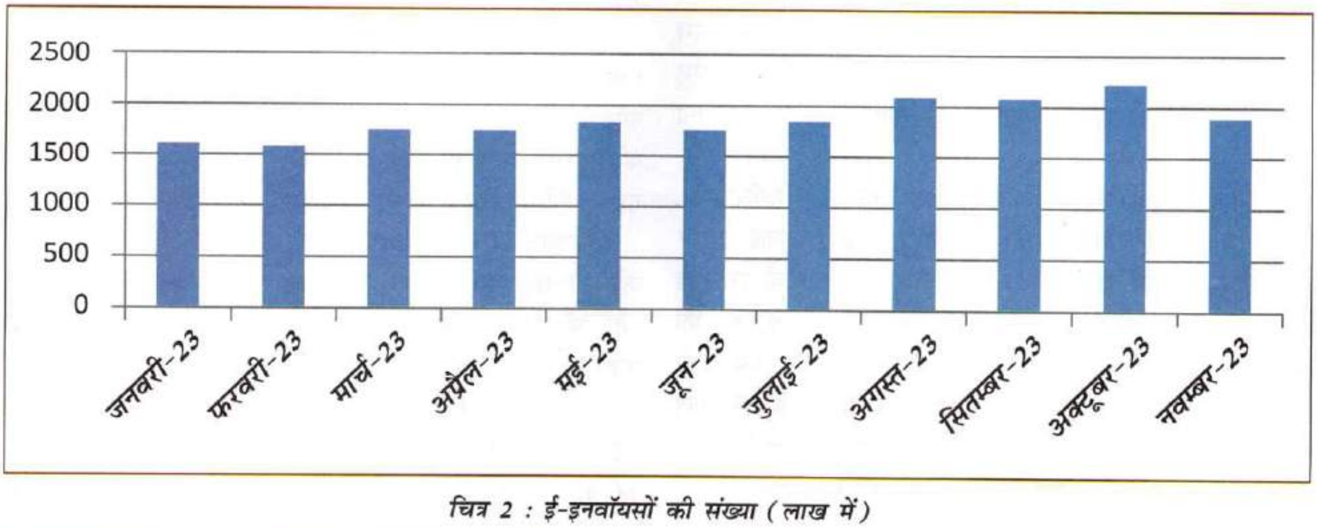

चित्र 2 : ई-इनवॉयसों की संख्या (लाख में)

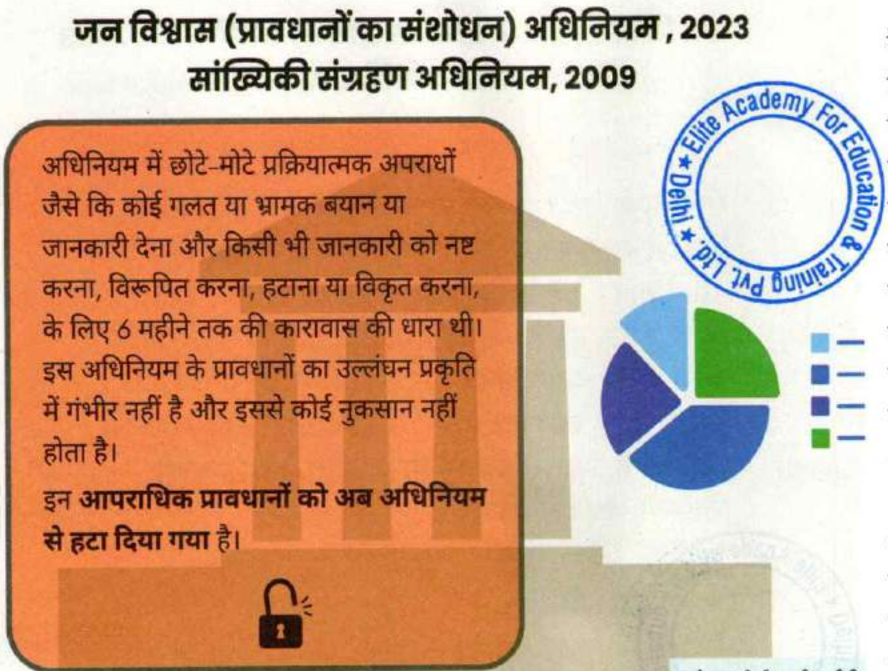

स्रोत: डीपीआईआईटी

है। इसके लिए अलग से रिफंड का आवेदन नहीं करना पड़ता। निर्यातकों के दावे का 90 प्रतिशत रिफंड तो आवेदन के सात दिन के भीतर कर दिया जाता है।

सरकार व्यापार और उद्योग की तथा खासकर छोटे और मध्यम करदाताओं की कठिनाइयों को समझती है। जीएसटी के सरल परिपालन के लिए अनेक व्यापार-अनुकूल पहलें की गई हैं:

पांच करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए एसएमएस के जरिये 'शून्य' रिटर्न दाखिल करने और तिमाही रिटर्न तथा मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना शुरू की गई है जिससे अब 24 की जगह सिर्फ 8 रिटर्न दाखिल करनी होती है। लगभग 89 प्रतिशत करदाता इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं और करीब 43 प्रतिशत करदाता इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही कम कर-दरों पर निर्धारित सकल वार्षिक कारोबार करने वाले वस्तु और सेवा क्षेत्र के छोटे व्यापारियों के लिए वैकल्पिक योजना भी शुरू की गई है।

ब्याज संबंधी उपाय: केंद्रीय वस्तु और सेवा अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 50 में 1 जुलाई, 2017 से संशोधन करके व्यवस्था की गई है कि गलत तरीके से लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान तभी करना होगा जब इसका लाभ उठाया गया है और साथ ही इसका उपयोग भी किया गया हो। इसके अलावा, गलत तरीके से प्राप्त और इस्तेमाल हो चुके आईटीसी पर लगने वाले ब्याज की दर भी जुलाई, 2017 से 24 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

रिफंड संबंधी उपाय : इनवर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर के कारण इस्तेमाल न किए गए आईटीसी के रिफंड का हिसाब लगाने के वास्ते सीजीएसटी नियमों के नियम 89(5) के अंतर्गत निर्धारित फॉर्मूले में संशोधन किया गया है। इससे इनवर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर के कारण होने वाले रिफंड की राशि बढ़ जाएगी। कई स्थितियों में बिना पंजीकरण वाले व्यक्ति भी अस्थायी पंजीकरण लेकर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के माध्यम से सप्लाई के लिए करदाताओं के हितार्थ उपाय: छोटे करदाताओं को ईसीओ के माध्यम से वस्तुएं सप्लाई करने और इंट्रा-स्टेट (राज्यों के बीच) ऑफलाइन तथा ऑनलाइन वस्तुएं सप्लाई करने में समानता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 01 अक्टूबर, 2023 से कारोबार के पंजीकरण की अनिवार्यता वाली शर्त हटा ली गई है। कंपोजिशन करदाता भी कुछ शर्तें पूरी करने पर ईसीओ के माध्यम से इंट्रा-स्टेट सप्लाई कर सकेंगे। इससे छोटे करदाताओं को बिना पंजीकरण लिए ही अपनी वस्तुएं बेचने के लिए विशाल ई-कॉमर्स बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

नकदी-प्रवाह बढ़ाने के उपाय : किसी पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (इलेक्ट्रॉनिक नकदी बही खाते) में इस्तेमाल न हुई शेष राशि उसी पैन-संख्या वाले गैर-पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक बही खाते में ट्रांसफर कर पाने का प्रावधान किया गया है। इससे उनकी तरलता यानी नकदी की उपलब्धता और नकदी-प्रवाह में सुधार होगा।

निर्यातकों के लिए सुविधा : निर्यातकों की बिना ड्यूटी (क्रेडिट स्क्रिप) वाली सप्लाई के मामले में आईटीसी वापिस लौटाने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। बिजली निर्यातकों की सुविधा के लिए बिजली निर्यात के कारण इस्तेमाल न की गई आईटीसी रिफंड करने के लिए भी संशोधन किए गए हैं।

करदाताओं की सुविधा के लिए यूपीआई और आईएमपीएस को जीएसटी भुगतान के अतिरिक्त साधन बना दिया गया है और सीजीएसटी नियमों के नियम 87(3) में संशोधन करके कर भुगतान में सरलता और लचीलापन लाया जा रहा है।

कर विवादों से जुड़ी मांगों को खत्म करने की व्यवस्था भी की गई है जिसके तहत सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 और 74 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि के

क्रमशः 3 और 5 वर्ष के भीतर अधिनिर्णय जारी करना होता था। कारोबार की सुगमता की दृष्टि से किए अन्य उपायों में अपील के आवेदन को किसी निश्चित अवधि के भीतर वापिस लेने का विकल्प; अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति की एक वर्ष बाद स्वतः बहाली; जीएसटी की कुछ धाराओं को गैर-आपराधिक घोषित करना, आदि शामिल हैं।

सप्लायर द्वारा कर भुगतान न होने के मामले में आईटीसी वापिस लौटाने और फिर से उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का तंत्र बनाने; लेट फीस की अधिकतम सीमा पर सशर्त आम माफी देने; सीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 के तहत जारी सर्वश्रेष्ठ न्यायिक आकलन की कथित वापिसी; निर्धारित समय के भीतर अपील दायर न हो सकने के मामलों में मांग आदेश पर अपील की अनुमति देने जैसे उपाय; तथा टीसीएस सुविधा का स्पष्टीकरण; वारंटी की अवधि में हिस्से पुर्जे बदलने और मरम्मत सेवाएं देने संबंधी आईटीसी; मुख्य कंपनी की सहायक कंपनी में शेयरपूंजी पर कर लगाने; और इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) के बारे में स्पष्टीकरण वगैरह को भी व्यापार में शामिल किया गया है।

हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अनेक प्रकार के शिकायत निवारण मंच उपलब्ध हैं जिनमें केंद्र और संबंधित राज्य के सदस्य शामिल रहते हैं।

विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सूचकांक में देशों का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मुख्य मापदंडों में देश की कराधान प्रणाली अहम है। आर्थिक और कर सुधारों के बल पर ही भारत सूचकांक सूची में लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है; इसका स्थान 2014 में 142वां था जबकि देश 2018 में 77वें स्थान पर आ गया तथा 2019 में 63वां स्थान प्राप्त कर लिया।

कंसल्टिंग फर्म डेट्रॉयट के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार जीएसटी के बारे में करीब 70 प्रतिशत बिज़नेस लीडर्स ने बढ़ती हुई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

इसमें सभी आकार के कारोबारों पर सकारात्मक प्रभाव का संकेत है जिनमें सूक्ष्म, लघु और मझौले (एमएसएमई) उद्यम जीएसटी का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 88 प्रतिशत एमएसएमई प्रतिनिधियों ने वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम होने का तथ्य स्वीकार किया है और इसका श्रेय जीएसटी व्यवस्था की अधिक समानता पर आधारित प्रणाली को दिया गया है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

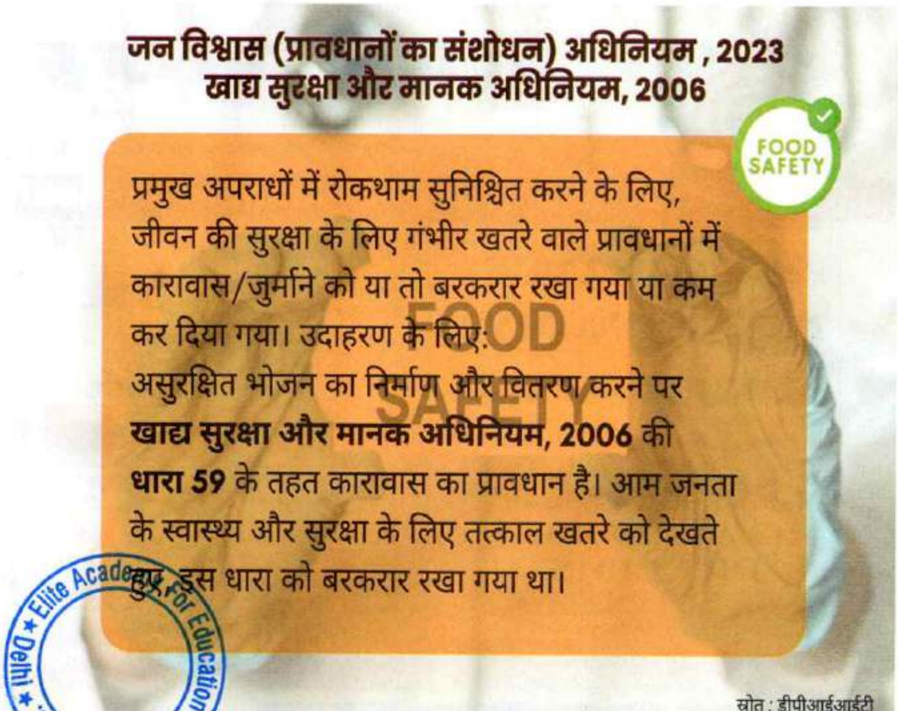

प्रमुख अपराधों में रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे वाले प्रावधानों में कारावास/जुर्माने को या तो बरकरार रखा गया या कम कर दिया गया। उदाहरण के लिए:

असुरक्षित भोजन का निर्माण और वितरण करने पर **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** की **धारा 59** के तहत कारावास का प्रावधान है। आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए तत्काल खतरे को देखते हुए इस धारा को बरकरार रखा गया था।

स्रोत : डीपीआईआईटी

Elite Academy for Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

उद्योग और घरेलू व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की व्यापक सुधार कार्य-योजना, 2020 में भी देशभर में व्यापार की सुगमता में महत्वपूर्ण सुधार का संकेत दिया गया है।

नई कर प्रणाली जीएसटी अपनाने में आए शुरूआती झटकों के बावजूद इसे कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में और सप्लाई-चेन की कुशलता सुधारने की दृष्टि से अहम बदलाव माना गया है। करदाताओं के लिए नियम-परिपालन का बोझ कम करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। अप्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे की असल भावना, उसके क्रियान्वयन तथा करदाताओं पर उसके अपेक्षित प्रभाव में कोई कसर या खामी नहीं है। जीएसटी तंत्र की अपनी कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं और नुकसान काफी कम। जीएसटी परिषद् के सद्प्रयासों के फलस्वरूप यह प्रणाली अधिक समानता पर आधारित और कुशल बन सकी है जिससे यह सुधारात्मक उपाय इतनी बड़ी सफलता पा सका है। ❑

(इस लेख में व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)

संदर्भ

1. www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/
2. www2.deloitte.com/in/en/pages/tax/articles/gst-at-6.html
3. https://eodb.dpiit.gov.in)/home?year=2020
4. www.doingbusiness.org
5. नई दिल्ली, करदाता सेवाओं के महानिदेशक की जीएसटी बुकलेट
6. www.cbic.gov.in
7. www.pib.gov.in
8. www.amity.edu/gwalior/ajm/pdf/role_of_gst_for_ease_of_doing_business_in_india.pdf
9. https://ewaybillgst.gov.in

वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की दिशा में भारत का निरंतर आगे बढ़ना

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 उल्लंघन की गंभीरता और निर्धारित सज़ा की गंभीरता/तीव्रता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। कई अपराध, जो प्रकृति में छोटे या तकनीकी या प्रक्रियात्मक हैं और जिनके लिए निर्धारित सज़ा गैर आनुपातिक थी, को जन विश्वास अधिनियम के तहत अपराधमुक्त कर दिया गया है। उद्योगों का मानना है कि जन विश्वास अधिनियम केवल शुरुआत है और कई और कानून क्षितिज पर हैं जो उद्योगों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगे।

अजय श्रीराम
ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पर सीआईआई टास्क फोर्स के अध्यक्ष और डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक। ईमेल: ajay.shriram@dcmshriram.com

अजय बहल
न्यायिक सुधारों संबंधी सीआईआई टास्क फोर्स के अध्यक्ष और एजेडबी एंड पार्टनर्स के सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार। ईमेल: ajay.bahl@azbpartners

आत्मनिर्भर भारत की यात्रा भारत द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तथा ईज़ ऑफ लिविंग की दिशा में साहसिक और आत्मविश्वासपूर्ण कदम उठाने से जुड़ी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल के कुशल नेतृत्व में डीपीआईआईटी द्वारा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 (जन विश्वास अधिनियमय) की अगुआई की। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 छोटे अपराधों के लिए आपराधिक सज़ा को तर्कसंगत बनाता है। जन विश्वास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग के लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ाने के लिए अपराधों का वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) करना और तर्कसंगत बनाना है। ऐसा करते समय, यह भारतीय न्यायिक प्रणाली को अधिक ज्वलंत मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।

देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ वाले कुछ महत्वपूर्ण तर्कसंगत अधिनियमों में 1948 का फार्मेसी अधिनियम, 1957 का कॉपीराइट अधिनियम, 1970 का पेटेंट अधिनियम, 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 का मोटर वाहन अधिनियम, 1999 का ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 का धन शोधन निवारण

अधिनियम, 2006 का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, और 2009 का कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम शामिल हैं।

जन विश्वास अधिनियम उल्लंघन की गंभीरता और निर्धारित सज़ा की गंभीरता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। कई अपराध, जो प्रकृति में छोटे या तकनीकी या प्रक्रियात्मक हैं और जिनके लिए निर्धारित सज़ा अनुपातहीन थी, उन्हें जेवी अधिनियम के तहत अपराधमुक्त कर दिया गया है। यह 'कारावास' और/या 'अर्थदंड' से सज़ा को घटाकर केवल 'जुर्माना' करके कई विशिष्ट अपराधों का पूरी तरह से गैर-अपराधीकरण कर देता है जो प्रकृति में छोटा, तकनीकी या प्रक्रियात्मक है। कई अपराधों का पूर्ण गैर-अपराधीकरण निगमों को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले आपराधिक मुकदमे की कठोरता से गुजरने से बचाने का आश्वासन देता है जो अब केवल 'जुर्माना' के साथ दंडनीय है, जिसका अर्थ है कि अदालत अभियोग पक्ष को दंड देने की आवश्यकता नहीं है।

विभिन्न कानूनों के तहत दस्तावेजों या सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण न किए जाने जैसे अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना सही हो सकता है क्योंकि असहयोग की स्थिति में दस्तावेज़ या जानकारी एकत्र करने के लिए नियामक अधिकारियों के पास उनके निपटान के लिए अन्य तंत्र हैं (जैसे खोज और जब्ती, विभिन्न सरकारी विभाग या प्राधिकरण के बीच बढ़ते समन्वय और तालमेल के मद्देनजर अन्य नियामकों या कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करना)। इसी प्रकार, शेष श्रेणी के तहत दंडनीय अपराधों (जिनके लिए कोई विशिष्ट दंड निर्धारित नहीं किया गया था) को अपराधमुक्त करना सही दिशा में एक कदम है।

सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ), जिसके कई सुझावों को जन विश्वास अधिनियम में अनुकूल रूप से माना गया था, हमेशा स्व-शासन की प्रणाली की ओर बढ़ने का एक मजबूत समर्थक रहा है जहां आपराधिक प्रावधान केवल गंभीर अपराधों के लिए अपवाद के रूप में मौजूद हैं, जबकि मामूली उल्लंघन के लिए इसने 'कारावास' और/या 'जुर्माने' के स्थान पर 'दंड' लगाने की सिफारिश की, जो एक कार्यकारी निर्णय है (ना कि अदालत का)।

जन विश्वास अधिनियम ने इन पहलुओं पर व्यापक रूप से काम किया है, जिसमें कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है और व्यवसायों को कानूनी ट्रायल की कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया से बचाने की बड़ी क्षमता प्रदान की गई है और इसके परिणामस्वरूप पहले से ही अत्यधिक बोझ वाली न्यायपालिका के पास लंबित मामलों पर भी असर पड़ा है। उदाहरण के लिए, बार-बार होने वाले कई अपराधों के लिए, जो साल-दर-साल मामलों के लंबित रहने में महत्वपूर्ण योगदान देता था, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में कारावास की सज़ा को अब बढ़े हुए जुर्माने से बदल दिया गया है।

उद्योगों का मानना है कि जन विश्वास अधिनियम केवल शुरुआत है और कई और क़ानून आने वाले हैं जो उद्योग को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्रालयों के तहत लंबित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इस प्रक्रिया का विस्तार किया जाना चाहिए [जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; और अन्य क़ानून] और राज्य सरकारें (जैसे फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948; अंतर राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, आदि), उल्लेख करने के लिए कुछ उदाहरणस्वरूप हैं। यह जानना उत्साहजनक है कि सरकार ने सीआईआई सहित प्रमुख हितधारकों के परामर्श से विभिन्न

व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानूनों को तर्कसंगत बनाने/गैर-अपराधीकरण के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों और अधिक प्रावधानों की पहचान पर काम करना शुरू कर दिया है।

भविष्य में, न्यायिक समय और संसाधनों को मुक्त करने का यह प्रयास और भी बेहतर हो सकता है यदि जन विश्वास अधिनियम का लाभ मौजूदा अपराधों तक भी बढ़ाया जाए। विगत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टी. बरई बनाम हेनरी आह होए मामले में यह विचार रखा था कि किसी अपराध के लिए कम सज़ा का लाभ पिछले उल्लंघनों तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून की कठोरता को कम करने में मदद करता है। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 (जन विश्वास बिल) पर संयुक्त समिति ने जन विश्वास बिल पर अपनी रिपोर्ट में पूर्वव्यापी प्रभाव देने की वैधता, संभावनाओं और अन्य परिणामों पर गौर करने की भी सिफारिश की है। हमारा मानना है कि प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से विस्तारित करते समय, आरोपी को संभवत: यह चुनने का विकल्प दिया जा सकता है कि वह वर्तमान कार्यवाही (और संभावित आपराधिक प्रतिबंधों का सामना करना) को जारी रखना चाहता है या गैर-आपराधिक प्रावधानों का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है। इसमें न केवल व्यवसायों के साथ-साथ न्यायपालिका पर बोझ को कम करने की अपार संभावनाएं होंगी, बल्कि सरकारी कामकाज की दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ नीति निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

संक्षेप में, कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के साथ शुरू हुई गैर-अपराधीकरण यात्रा ने जन विश्वास अधिनियम के साथ गति पकड़ ली है। गति को जारी रखना महत्वपूर्ण होगा, और इसके लिए, जन विश्वास अधिनियम में निहित सिद्धांतों का उपयोग अन्य कानूनों में अपराधों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है जिनका अभी तक गैर-अपराधीकरण नहीं किया गया है। सीआईआई का मानना है कि कानूनों को निवारक के रूप में कार्य करने के बजाय उद्यमशीलता को सक्षम और प्रोत्साहित करना चाहिए और जब तक उनमें धोखाधड़ी या गलत काम का तत्व शामिल न हो, उनका वैधीकरण (गैर-अपराधीकरण) किया जाना चाहिए। गैर-गंभीर अपराधों के लिए व्यावसायिक कानूनों में आपराधिक प्रावधान निदेशकों, युवा उद्यमियों और घरेलू और विदेशी निवेशकों के बीच चिंताएं बढ़ाते हैं, जिससे व्यावसायिक भावनाओं और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पर असर पड़ता है।

हालाँकि, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और गंभीर उल्लंघनों के लिए पर्याप्त रोकथाम के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि साधारण बदलाव के बजाय अर्थपूर्ण गैर-अपराधीकरण हासिल किया जा सके। यह देखना उत्साहजनक है कि सरकार ने जिम्मेदार गैर-अपराधीकरण की दिशा में एक और कदम उठाया है। सीआईआई देश में कारोबार करने में आसानी के माहौल में निरंतर और त्वरित सुधार के लिए 'जेवी 2.0' लाने के सरकार के प्रयास में समर्थन जारी रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ❑

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक माहौल में नाजुक संतुलन

विधेयक के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक जुर्मानों में व्यापक संशोधन है। पारंपरिक रुख से सुस्पष्ट रूप से हटकर इस विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर अधिक जुर्माना/दंड की व्यवस्था है। इस युक्तिपूर्ण बदलाव का उद्देश्य उल्लंघनों के खिलाफ अधिक प्रभावी निवारक का गठन है जो व्यवसायों को बाधित किए बिना एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करता है।

संदीप सोमानी | पूर्व अध्यक्ष फिक्की; अध्यक्ष, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, फिक्की टास्क फोर्स; सीएमडी, सोमानी इम्प्रेसा ग्रुप।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 भारत के नियामक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त कर के यह विधेयक विनियामक प्रवर्तन और एक अनुकूल व्यावसायिक माहौल बनाने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह अभूतपूर्व पहल भारत में व्यापार करने में आसानी को नये रूप में ढालने के लिए तत्पर है।

भारतीय उद्योग लंबे समय से विभिन्न कानूनों को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता का सुझाव देता रहा है क्योंकि इससे निवेश माहौल अवरुद्ध होता है। कार्यस्थल पर संचालन से संबंधित मामूली अपराधों के कारण कंपनियों के निदेशकों और यहां तक कि कुछ मामलों में स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इसने कारोबारी माहौल को बिगाड़ दिया था और कई लोगों को अपनी वास्तविक सामर्थ्य का पूरी तरह से उपयोग करने से रोक दिया था। भारत सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए अपराध मुक्त करने के अभियान का उद्देश्य छोटी-मोटी प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करके नियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करना है।

यह विधेयक हमारे माननीय प्रधान मंत्री के विश्वासों और विचारों की भावना में निहित है जिसे उन्होंने 2016 में व्यक्त किया था: **"...भारत के नागरिकों पर भरोसा करना महत्वपूर्ण था।"** किसी भी विनियमन का विश्वास पर आधारित होना महत्वपूर्ण है और उस विश्वास को तोड़ने पर भारी जुर्माना देना होगा।

विधेयक नियामक ढांचे को सरल बनाता है और व्यवसायों विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर बोझ कम करता है जिन्हें अक्सर रोजमर्रा के कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे ऐसे परिवर्तनों के प्रमुख लाभार्थी होंगे और इनसे उन्हें अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक समान अवसर मिलेंगे।

विधेयक के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक जुर्मानों में व्यापक संशोधन है। पारंपरिक दृष्टिकोण से सुस्पष्ट रूप से

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023
मोटर वाहन अधिनियम, 1988

जन विश्वास अधिनियम, 2023 के तहत कुछ छोटे अपराधों को समझौता योग्य बना दिया गया है।

ड्राइविंग नियमों से संबंधित उल्लंघन, यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा डालना, और अधिनियम के तहत झूठे पंजीकरण दस्तावेज़ का उत्पादन करने पर पहले जुर्माना और 6 महीने से 1 वर्ष तक की कैद का प्रावधान था जिसे जन विश्वास अधिनियम, 2023 के तहत समझौता योग्य बना दिया गया।

स्रोत : डीपीआईआईटी

हटकर इस विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर अधिक जुर्माना/दंड की व्यवस्था है। विधेयक के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक जुर्मानों में व्यापक संशोधन है। कारावासीय सज़ाओं की बजाय वित्तीय कुपरिणामों पर जोर देकर यह विधेयक नियामक ढांचे में समकालीन वैश्विक रुखों के अनुरूप है और अनुपालन के उल्लंघन के आर्थिक परिणाम पर बल देता है। वैश्विक रुखों के साथ यह तालमेल वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत के एकीकरण के लिए आवश्यक है और साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को उजागर करता है और सुगम व्यापार संबंधों को बढ़ावा देता है।

अधिकांश ऐसे परिवर्तनों में कारावास की सज़ा को हटा दिया गया है लेकिन जुर्माने को बरकरार रखा गया है। जुर्माने और दंड के बीच अंतर यह है कि जुर्माना अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है और दंड कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा लगाया जाता है। इसलिए हमेशा यह तर्क दिया गया कि कारावास का दंड कायम रखने से अनुपालन बोझ नहीं घटेगा और मुकदमेबाजी कम नहीं होगी जो विधेयक द्वारा हासिल किए जाने वाले उद्देश्य को निष्प्रभावी कर देगा। इसलिए जहां भी संभव हो कारावास की सज़ा हटाने के साथ-साथ जुर्माने के स्थान पर दंड लगाया जाये जिससे मुकदमेबाजी में बढ़ोतरी से बचा जा सके। फिक्की के लिए यह सुखद बात है कि संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसा पर कई मामलों में जुर्माने की जगह दंड लगा दिया गया है।

फिक्की ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते समय अपराध मुक्तिकरण के कुछ बुनियादी आम सिद्धांत तैयार किए हैं जो इस प्रकार हैं:

- निदेशकों (या कम से कम स्वतंत्र निदेशकों) को परिचालन संबंधी अनुपालनों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- तकनीकी चूकों/त्रुटियों के लिए कोई आपराधिक देयता नहीं, केवल वित्तीय जुर्माना
- अधिकांश कानूनों में पहली बार अपराध करने पर कोई आपराधिक देयता नहीं
- आगामी अनुपालन उल्लंघनों के लिए निवारक के रूप में श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली
- किए गए अपराधों के लिए आपराधिक मन:स्थिति प्रमाणित करना

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि डीपीआईआईटी इस कवायद के अगले चरण यानी जन विश्वास 2.0 के तहत छोटे आपराधिक प्रावधानों की पहचान और मूल्यांकन करने और उन्हें अपराध मुक्त करने की प्रक्रिया में है। जन विश्वास 2.0 की यह कवायद जन विश्वास विधेयक, 2023 को आगे बढ़ाएगी और अपने पूर्ववर्ती प्रयोग से सीख लेगी। इसके लिए फिक्की कुछ सुझाव और सिफ़ारिशें जोड़ना चाहेगा जो नीचे वर्णित हैं।

विभिन्न कानूनों के तहत परिचालन या प्रक्रियात्मक खामियों के लिए भी निदेशकों को अभी भी जिम्मेदार ठहराया जाता है मसलन फैक्ट्री अधिनियम, धारा 92 के अधीन स्वास्थ्य और सुरक्षा, काम के घंटे, कल्याण, मुआवजे और रिकॉर्ड, रिटर्न और रजिस्टरों का रखरखाव न करने से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सामान्य दंड निर्धारित किए गए हैं। इनसे भी सम्बंधित सुझाव हैं कि:

- तकनीकी चूक/त्रुटियों जैसे रिकॉर्ड का रखरखाव, रिटर्न दाखिल करना आदि के लिए केवल मौद्रिक दंड होना चाहिए जिसे आगामी चूकों के लिए श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।
- पहली बार के अपराधों में केवल मौद्रिक दंड होना चाहिए जिसे निवारक प्रभाव पैदा करने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- किसी अपराध को कम करने का प्रावधान जहां अन्यथा कानून का अनुपालन हो।
- छोटे-मोटे अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से व्यवसाय संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है क्योंकि ध्यान अभियोक्ता के बचाव पर केंद्रित हो जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीपीसी) की धारा 252 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई आरोपी अपना दोष स्वीकार करता है (यहां तक कि छोटे अपराधों के लिए भी) तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से आरोपी को कारावास या जुर्माने से दंडित

कर सकता है। चूंकि कारखानों में परिचालन के दौरान उल्लंघन की घटना अपरिहार्य है जिसके परिणामस्वरूप छोटे मोटे अपराध घटते ही हैं, सीपीसी की धारा 252 के तहत आरोपी व्यक्तियों/कंपनी द्वारा स्वयं को दोषी स्वीकार करने के उदाहरणों को आदतन अपराधी माना जा सकता है। इसके अलावा ऐसे छोटे अपराधों के लिए आपराधिक अभियोजन व्यवसाय करने में आसानी के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार मामूली या छोटी शारीरिक चोट (मामूली अपराध) के परिणामस्वरूप होने वाले उल्लंघनों के लिए छोटे अपराधों के लिए फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 92 के प्रावधानों को जन विश्वास विधेयक के अनुरूप अपराध मुक्त और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।

- यहां गौरतलब यह है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता – धारा 94, 96 और 97 के तहत संबंधित प्रावधानों को बढ़े हुए मौद्रिक दंड के साथ पूरी तरह से अपराधमुक्त कर दिया गया है।

कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009): जन विश्वास विधेयक में कई प्रावधानों को शामिल किया गया है पर गैर-मानक पैकेज बेचने के लिए दंड से संबंधित धारा 36 को अपराध मुक्त श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। इसके अधीन कारावास के प्रावधानों को हटाने की आवश्यकता है और इस प्रावधान के लिए भी केवल श्रेणीबद्ध जुर्माना और मौद्रिक दंड ही रखा जाए।

तर्क: वर्तमान में पैकेजिंग विनियमन विधिक माप विज्ञान निरीक्षकों को छोटे-मोटे/तकनीकी अनुपालन उल्लंघन के बेहद मामूली कारणों पर नोटिस जारी करने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए अक्षर के आकार में अंतर भी किसी पैकेज को गैर-मानक बना देता है भले ही वह पढ़ा जा सकता हो।

श्रम संहिता: अधिनियमित की गयी कुछ नई संहिताओं में अपराधीकरण के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। उदाहरण के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कामकाजी स्थिति संहिता 2019 की धारा 102 और 103 के अधीन कारावास और जुर्माना सहित बढ़े हुए दंड का प्रावधान है। इसी तरह वेतन संहिता 2019, धारा 54(1)(डी) के तहत, 'संहिता-कारावास' के किसी भी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करने पर अगली सज़ा (ऐसी पहली सज़ा से 5 साल के भीतर) के लिए एक महीने तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

हालांकि हम जानते हैं कि ये प्रावधान गंभीर चोट और दुर्घटनाओं और बकाया राशि के अपर्याप्त भुगतान से संबंधित हैं और उद्योग कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन हमारा सुझाव है कि कम से कम स्वतंत्र निदेशकों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और उन मामलों में मौद्रिक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मामलों में अगले अपराधों के लिए प्रति दिन आधार पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने पर विचार किया जा सकता है जहां अनुपालन उल्लंघन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कोई नुकसान या हानि नहीं हुई है। इस प्रावधान को समाधेय बनाया जाना चाहिए। जुर्माने का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए न कि स्वतंत्र निदेशक द्वारा। इसके अलावा उक्त प्रावधान संहिता के ऐसे प्रावधानों के अगले उल्लंघन को दंडित करता है जिसके लिए कोई निश्चित दंड निर्धारित नहीं है। ऐसे मामलों में आपराधिक मन:स्थिति का भाव आमतौर पर मौजूद नहीं होता है जिसे समझने की आवश्यकता होती है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182: राजनीतिक योगदान के संबंध में निषेध और प्रतिबंध के अनुसार कोई कंपनी (नई स्थापित या सरकारी कंपनियों के अलावा) किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान कर सकती है। कंपनी को इस योगदान को अधिकृत करने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करना होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल योगदान का खुलासा कंपनी के लाभ और हानि खाते में अवश्य किया जाना चाहिए। योगदान केवल निर्दिष्ट वित्तीय साधनों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस धारा में आपराधिक प्रावधान निहित हैं। कानून की यह आवश्यकता प्रक्रियात्मक प्रकृति की है जहां निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं के पालन में कोई चूक होने की संभावना हो सकती है। अत: कारावास की सज़ा का प्रावधान अनुचित होगा। इसे केवल

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023
कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009

अधिनियम के तहत कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी, नियंत्रक या निदेशक को गलत जानकारी देने जैसी प्रक्रियात्मक चूक में जुर्माने तथा **6 महीने** तक की कैद का प्रावधान था जिसे अब समझौता योग्य बना दिया गया है।

कंपाउंडिंग एक समझौता तंत्र है, जिसके द्वारा अपराधी को अभियोजन के बजाय पैसे का भुगतान करने का विकल्प दिया जाता है, जिससे **लंबी और दीर्घकालीन मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।**

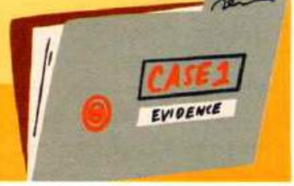

स्रोत: डीपीआईआईटी

मौद्रिक दंड तक ही सीमित किया जा सकता है और प्रावधान को निम्नानुसार उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है:

यदि कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो कंपनी को दंड के रूप में जुर्माना देना होगा जो योगदान की गई राशि का पांच गुना तक बढ़ाया जा सकता है और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिससे चूक हुई है उसे दंड के रूप में जुर्माना देना होगा जो योगदान की गई राशि का पांच गुना तक हो सकता है।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 41 के साथ पठित धारा 20(2)/(3): यह राज्य बोर्ड द्वारा जानकारी प्राप्त करने के आदेशों का अनुपालन करने में विफलता के लिए दंड का प्रावधान करता है। इसमें जुर्माने के साथ 3 महीने तक के कारावास का प्रावधान है जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों और दोषी ठहराए जाने के बाद भी विफलता के लिए प्रति दिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान निर्वहन, निर्माण आदि से संबंधित जानकारी मांगने वाले राज्य बोर्ड के निर्देशों का पालन करने में विफलता से संबंधित है। हमारा सुझाव है कि कारावास की तुलना में भारी जुर्माना अधिक उचित दंड होगा क्योंकि उल्लंघन जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण होता है और यह स्वयं प्रदूषण फैलाने का कार्य नहीं है।

विद्युत अधिनियम 2003-धारा 146: इस प्रावधान में निहित है कि जो कोई भी इस अधिनियम के तहत जारी आदेश या निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघनों में सहायता करता है उसे दंड मिल सकता है। सज़ा में प्रत्येक अपराध के लिए तीन महीने तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। यदि अनुपालन में विफलता पहली सज़ा के बाद भी जारी रहती है तो विफलता जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां भी व्यापक रूप से यह इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन है। अधिनियम के अनुपालन के लिए कारावास के बजाय नागरिक दंड या जुर्माना अधिक प्रभावी हो सकता है विशेष रूप से अनुपालन के ऐसे उल्लंघन के लिए जिसके पीछे दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं है। इस प्रावधान को अपराधमुक्त करना आधुनिक नियामक प्रक्रियाओं के अनुरूप है जो दंडात्मक उपायों की बनिस्पत जानकारी प्रदान करने और सहयोग पर जोर देता है और अधिक अनुकूल व्यावसायिक माहौल को बढ़ावा देता है।

भावी योजना

ऊपर वर्णित ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके लिए आपराधिक स्थिति को हटाने की आवश्यकता होगी। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2023 भारत में अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। आगामी प्रयासों में राज्य स्तर पर आपराधिक स्थिति को हटाने से सम्बंधित मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विधानों के अधिभावी अस्तित्व के कारण राज्य सरकारें छोटे आपराधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने में असमर्थ हैं। हमें ऐसे चुनिंदा केंद्रीय अधिनियमों की जांच के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसका बाद में सभी अधीनस्थ राज्य विधानों को अपराध मुक्त करने पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। शुरुआती कदम के तौर पर चुनिंदा प्रमुख राज्यों पर गौर किया जा सकता है। हाल ही में जैसा कि मीडिया में बताया गया है हरियाणा सरकार ने अधिनियमों/नियमों में निर्धारित कुछ बोझिल अनुपालनों को कम करके नागरिकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कानूनों को अपराध से मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी है। मुझे यकीन है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। ❑

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी-विंग, केन्द्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरू	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455

सत्यमेव जयते

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई-रिसोर्स एग्रीगेटर (ईआरए)

के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

सरकार के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से जुड़ने और उसके ई-प्रकाशनों के विक्रय का सुनहरा अवसर

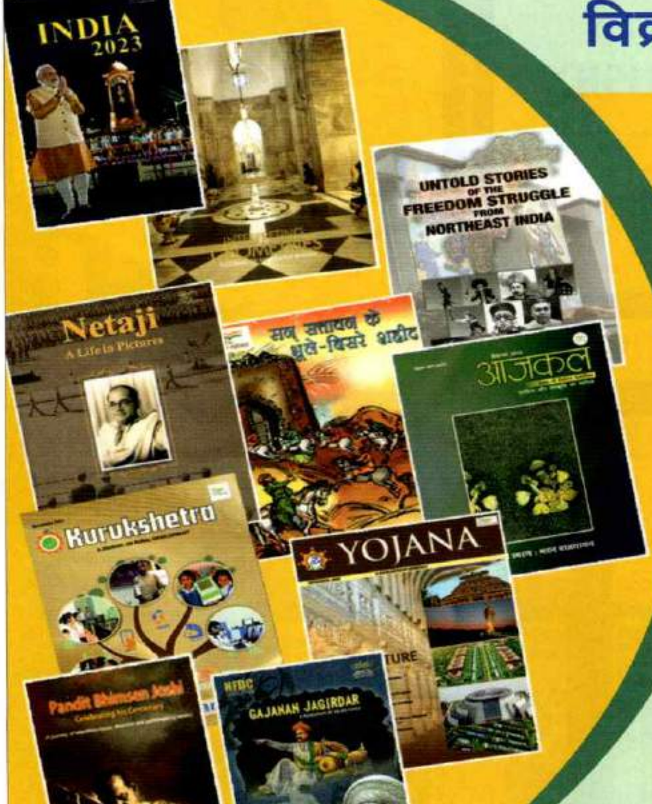

विशेषताएं :-

- प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय ई-पुस्तकें और ई-पत्रिकाएं उपलब्ध कराने का अवसर।
- प्राप्त राजस्व में 30% की निश्चित हिस्सेदारी।
- किसी निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मात्र 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क।

अधिक जानकारी के लिए देखें –
www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com
पता : व्यापार स्कंध, कमरा संख्या–758, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बीच भारत-अफ्रीकी संबंध

ऋषया धर्माणी | राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर एवं विकासात्मक नीति में स्वतंत्र शोधकर्ता। ईमेल: rishya.dharmani@gmail.com

Elite Academy For Education & Training, Delhi

ग्लोबल साउथ अर्थात् विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यवस्था में लगातार एक अनोखी आवाज़ बनकर उभरे हैं। इस परिभाषा से तात्पर्य विकासशील देशों के अपना विशेष दर्जा प्राप्त करने और अपनी विशेष चिन्ताओं को मान्यता दिलाने की दिशा में संघर्ष जारी रखने से है। व्यापार के मामले में प्रतिकूल वैश्विक हालात, निवेश और वित्तीय अवसरों का अभाव, राजकीय ऋणों का डूबना, राजनीतिक अस्थिरता और खनिज संसाधनों का दोहन (शोषण) के मिलेजुले प्रभाव के कारण सदियों से चले आ रहे शोषण जैसे मुद्दों से ही समूचा आर्थिक ढांचा कमजोर बना हुआ है। अभी हाल में जलवायु, कोविड, संघर्ष और मुद्रास्फीति तथा जीवन-यापन की बढ़ती लागत (4सी: क्लाइमेट, कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और कॉस्ट ऑफ लिविंग) जैसे कारकों के कारण भी राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है।

भारत ने स्वयं को विकासशील देशों की असली आवाज़, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के जनक और जी-77 विचार-विमर्श में सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित किया है। दशकों से उसने अपनी बढ़ती साख की पूंजी के बल पर वैश्विक नियम निर्धारण व्यवस्था में अहम सफलताएं प्राप्त की हैं।

प्राचीन संबंध

सिंधु घाटी और तत्कालीन अफ्रीकी सभ्यताओं के बीच व्यापार संबंधों के दस्तावेज मौजूद हैं। बाद में यूनान के प्राचीन ऐतिहासिक उल्लेख में मिस्र और भारतीय शासकों के बीच हिन्द महासागर के रास्ते समुद्री व्यापार का वर्णन है और यही बाद में आर्थिक और विविध सांस्कृतिक आदान-प्रदान का स्थायी मार्ग भी बना। व्यापार संस्कृति के माध्यम से 'मानसून संस्कृति' का विकास हुआ और हिन्द महासागर के जरिये विभिन्न नस्लों और प्रजातियों के बीच संबंध स्थापित होने से हाथी दांत और सोने इत्यादि का कारोबार होने लगा। फिर, मध्यकालीन दौर में अबीसीनियाई तथा अन्य कई अफ्रीकी लोग भारतीय साम्राज्यों की सेवा में रहने लगे थे। औपनिवेशिक चरण में ठेके पर काम करने वाले अनुबंधित श्रमिक या 'गिरमिटिया लोग' जबरन विस्थापित किए जाने पर अफ्रीका की ब्रिटिश कॉलोनियों में चले गए जिससे सांस्कृतिक संबंध भी विकसित हुए।

यह भी स्मरणीय है कि गांधीजी को नैतिक और राजनीतिक अहसास दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों से ही हुआ था। उसके बाद ही नैतिक नेता के रूप में उनका कद वहीं बढ़ा था जब क्वामे एनक्रूमा, अल्बर्ट लुथुली, नेल्सन मंडेला और केनेथ कौंडा जैसे अफ्रीकी नेताओं ने गांधीवादी नैतिकता, विशेषकर उनके सविनय अवज्ञा आन्दोलन की भावना के प्रति आभार व्यक्त किया। इन ऐतिहासिक और वैचारिक सहमति पर आधारित संबंधों से प्रेरित होकर ही भारतीय और अफ्रीकी नेताओं ने नव-उपनिवेशवाद की विचारधारा का विरोध करने का संकल्प लिया जिससे उपनिवेशवाद-मुक्त विश्व की नई संरचना का सूत्रपात हुआ। भारत नए स्वतंत्र अफ्रीकी देशों की स्थिरता और कल्याण में गहरी रुचि के साथ संयुक्त राष्ट्र में हमेशा सक्रिय रहता है। अफ्रीकी देशों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अपने सैनिक भेजने वाले देशों में भारत सबसे आगे की पंक्ति में है। अफ्रीकी धरती पर संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले मिशन ओएनयूसी के तहत कांगो में 1960 से 1964 के बीच भी भारत ने शांति सैनिक भेजे थे।

"विकासशील देशों के बीच साउथ-साउथ सहयोग (एसएससी) के गठन में बांडुंग सम्मेलन वैश्विक राजनीतिक आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। एसएससी असल में उत्तरी देशों के दबदबे वाली राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली को चुनौती देने के उद्देश्य से ही अस्तित्व में आया था। 1950 के दशक से आज तक इसने अनेक उतार-चढ़ाव और तेजी-मंदी के दौर देखे हैं।"[1] विश्व जहां नई चुनौतियों और नए अवसरों को देख रहा है वहीं 'ग्लोबल साउथ' में भी स्पष्ट भू-राजनैतिक और भू-आर्थिक परिवर्तन दिखने लगा है।

21वीं शताब्दी में वैश्विक प्रशासन मानकों के पुनर्वैश्वीकरण और पुनर्निर्धारण से एएफजीसी, बी3डब्ल्यू, ब्लू डॉट नेटवर्क, एडीबी जैसे अनेक सशक्त संस्थापक और विकासपरक जवाब सामने आए हैं। सहयोग, संघर्ष और स्पर्धा के क्षेत्रों में नई संभावनाएं तलाशने का सिलसिला शुरू हो गया। सक्रिय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजुलविनी सहमति, वैश्विक स्वास्थ्य समानता (इक्विटी) तथा जलवायु न्याय और ऊर्जा सुरक्षा की पक्की व्यवस्था हो जाने से भारत-अफ्रीकी सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया (इसमें तेल, गैस, खनिज अयस्क और महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच विशेष उल्लेखनीय है)। संयुक्त राष्ट्र तंत्र के अतिरिक्त भी ईसीओडब्ल्यूएएस, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौता, ब्रिक्स, ओआईसी, एडीबी, एनडीबी, इब्सा (आईबीएसए), गरीबी और भुखमरी कम करने संबंधी वार्ता,

टेली-लॉ
वंचितों तक पहुंच

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

टेली-लॉ क्या है?

टेली-लॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। वकीलों और लोगों के बीच यह ई-इंटरेक्शन सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे के माध्यम से होगा।

टेली-लॉ की अवधारणा कानूनी सेवाओं के फ्रंट कार्यालयों में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह देने की सुविधा प्रदान करना है। प्राधिकरण और सी.एस.सी. परियोजना का लक्ष्य 1,00,000 ग्राम पंचायतों में पहचाने गए ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को पैनल वकीलों से जोड़ना है।

सामयिक

टेली-लॉ 2.0 (टेली-लॉ और न्याय बंधु (प्रो बोनो) कानूनी सेवा कार्यक्रम का एकीकरण) कार्यक्रम 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में 50 लाख कानूनी सलाह की उपलब्धि का भी जश्न मनाया गया।

स्रोत : पीआईबी

एससीओ और छोटे द्वीपीय देशों के संगठन एआरएसआईएस जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भी सहयोग बढ़ा है। ''आईएसए और सीडीआरआई दोनों का गठन अन्य देशों के साथ आपसी संबंध बनाने और उन्हें मजबूत करने की दिशा में भारत के प्रगतिशील और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का उदाहरण है। इन संगठनों के माध्यम से अफ्रीकी देशों को समर्थन देकर और उनसे भागीदारी करके भारत को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंडा को प्रभावित करने का अवसर मिलता है।''[2]

समुद्री डकैती पर रोक लगाने, समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, मानवीय और आपदा राहत सहायता, बहुपक्षीय विकास सहायता, सामाजिक क्षेत्र में निवेश, आईसीसीआर के माध्यम से लोगों के बीच बढ़ते संबंधों जैसे विभिन्न प्रकार के तालमेल से अफ्रीका की विकास यात्रा में भारतीय व्यापारियों ने महत्वपूर्ण निवेश किए हैं।

एक्सिम (निर्यात-आयात) बैंक ने सतत विकास का दृष्टिकोण अपनाकर फोकस अफ्रीका कार्यक्रम और भारत-अफ्रीका भागीदारी परियोजना, 2022 तक 17 भारत-अफ्रीका कॉनक्लेव, भारत-अफ्रीका फोरम (मंच) और मॉरीशस के साथ 2021 में हुए भारतीय उद्योग व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीकी कस्टम्स यूनियन प्राथमिकता व्यापार समझौता, घाना और सेनेगल के साथ संयुक्त व्यापार समितियों की बैठकें और 17वीं सीआईआई-एक्सिम बैंक डिजिटल कॉनक्लेव जैसी अन्य पहलों से भी अफ्रीकी देशों में भारत के निजी क्षेत्र के निवेश के विकास को प्रोत्साहन मिला है।

अफ्रीका से भारत को होने वाले निर्यात की दर में 23 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है और कुल व्यापार 2001 के मुकाबले 2013 में बढ़कर चौदह गुना हो गया है। भारत अफ्रीकी देशों को निर्यात करने वाले पांच सबसे बड़े निवेशकों में से है। सरकार से सरकार के स्तर पर आदान-प्रदान में सबसे कम विकसित (एलडीसी) देशों के लिए ड्यूटी-मुक्त दरें और ऋण पत्रों (एलओसी) का विस्तार शामिल है। ओएनजीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में निवेश किया है। रिलायंस लिमिटेड को नाइजीरिया और मेडगास्कर में तेल खुदाई ब्लाकों में ठेके दिए गए हैं। कई भारतीय कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, सूडान, मोज़ाम्बिक में तथा घाना और नाइजीरिया के प्राकृतिक संसाधनों में बड़े निवेश किए हैं। ये निवेश कृषि व्यापार, फॉर्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हुए हैं। 2022-23 में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच कुल कारोबार लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया।[3] अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारत के सीधे विदेशी निवेश का 22.5 प्रतिशत अफ्रीकी देशों में किया गया और यह मौजूदा निवेश 32 अरब डॉलर का है।

मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को ने भी भारत में निवेश किए हैं जो लाखों डॉलर के हैं। भारत में अभी अफ्रीका के सीधे विदेशी निवेश 73 अरब डॉलर के हैं। दोनों भागीदारों ने सामने वाले पक्ष का लाभ ध्यान में रखने के साथ अपने हितों की सुरक्षा की भी पक्की व्यवस्था रखी है। उदाहरण के लिए, 2009 में भारत-अफ्रीका हाइड्रोकार्बन्स सम्मेलन में भारत ने सहयोग के पांच खास क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया- कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस सप्लाई का विस्तार करके ऊर्जा सुरक्षा पक्की करना; अपस्ट्रीम और ग्रीनफील्ड के आपसी अवसरों में निवेश बढ़ाना;

भारत का कौशल (खासकर डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्रों में) तथा प्रतिभा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में किफायती तरीके से निवेश करना।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

''वाशिंगटन सहमति से निकलो! दक्षिणी सहमति से जुड़ो!''[4]

''कोई देश अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही नहीं बल्कि अनेक आर्थिक तत्वों तथा जनसंख्या के जीवन-स्तर के आधार पर उत्तरी या दक्षिणी माना जाता है।''[5] सबसे कम विकसित देशों और उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच एजेंडा तय करने की प्रक्रिया में बराबरी के भागीदार बनने पर हुई सहमति के आधार पर ग्लोबल साउथ नियम पालन करने वाले की बजाय नियम तय करने वालों की स्थिति में आ रहा है। त्रिकोणीय सहयोग जैसी अनेक व्यवस्थाएं बनाने के प्रस्ताव आए हैं जिसमें दो सदस्य विकासशील देशों (साउथ) के और एक प्रतिनिधि विकसित (नॉर्थ) देश से रहेगा और यह संगठन तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। इसमें दोनों पक्षों को लाभ होना निश्चित है क्योंकि स्वामित्व की भावना और साझे लक्ष्यों के कारण इसमें शामिल होने वाले विकासशील देशों की क्षमता और योग्यता का निश्चित रूप से विकास होगा। जैसे की जी 7+ अंतर-महाद्वीपीय ग्रुप है जिसमें अफ्रीका, एशिया, ओशेनिया और कैरिबिया महाद्वीपों के 20 देश शामिल हैं। साथी देशों से सीखना जी 7+ की स्थापना के समय से ही एफ2एफ (फ्रेजाइल टू फ्रेजाइल यानी कमजोर से कमजोर को) सहयोग का मुख्य स्तम्भ और विकासशील देशों के परस्पर सहयोग का असल साधन रहा है। यह जी 7+ देशों की जानकारी और शुरूआती दौर से लचीलापन विकसित होने तक की चुनौतियों के अनुभव को मान्यता देने पर आधारित होता है।[6]

विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन देने और क्रियान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण ब्यूनस आयरस कार्य योजना (बापा) का 1978 में संयुक्त राष्ट्र के 138 सदस्यों ने अनुमोदन किया था। इसने सबसे कम विकसित देशों के बीच सहयोग का प्रस्ताव रखा था। ब्यूनस आयरस कार्य योजना (बापा+40) ने विकासशील देशों के बीच सहयोग को 'दक्षिण (गरीब) देशों और उनके लोगों के बीच अपने राष्ट्रीय कल्याण, अपनी राष्ट्रीय और सामूहिक आत्मनिर्भरता तथा स्थायी विकास लक्ष्यों सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माने जा चुके विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एकजुट होकर प्रयास करने की अभिव्यक्ति' की संज्ञा दी है (पैरा 8)। विकासशील देशों के बीच सहयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, विकासशील देशों के बीच सहयोग के बारे में संयुक्त राष्ट्र का दूसरा उच्च स्तरीय सम्मेलन, या बापा+40 में दक्षिण-दक्षिण संबंधों से जुड़े जाल सम्मिलित हैं। दक्षिण-दक्षिण सहयोग और क्षमता विकास के बारे में 2010 में आयोजित बोगोटा उच्चस्तरीय सम्मेलन से समानता-आधारित भागीदारी और क्षमता विकास व्यवस्था पर चर्चा और तेज हो गई। 2011 के सहायता प्रभावशीलता संबंधी मंच के बुसान उच्च स्तरीय मंच में एसएससी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 2022-23 में सबसे कम विकसित देशों के लिए दोहा कार्ययोजना के तहत महामारी से उबरने के उद्देश्य से गठित नई भागीदारी व्यवस्था संसाधन जुटाने में लगी है। इसी प्रकार एलडीसी5 दक्षिण-दक्षिण सहयोग की ताकत बढ़ाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई की पहल है। ''2017 में स्थापित भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष 15 करोड़ डॉलर का वित्तीय तंत्र है जिसने सबसे कम विकसित 18 देशों में 24 परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। साथ ही, 29 एसआईडी और 10 एलएलडीसी में भी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीबी और भुखमरी दूर करने के लिए भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (इबसा) कोष 2004 में स्थापित किया गया था और इसने सबसे कम विकसित देशों में 22 परियोजनाओं को आर्थिक सहायता दी है जिस पर कुल उपलब्ध संसाधनों में से 62 प्रतिशत से ज्यादा खर्च हुए हैं।[7] भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का विशेष उद्देश्य से 2017 में स्थापित कोष है। भारत इसका नेतृत्व और समर्थन करता है तथा इसका प्रबंध दक्षिण-दक्षिण सहयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय- यूएनओएसएससी करता है। यह कोष छोटे द्वीपीय देशों, सबसे कम विकसित देशों, जमीन से घिरे विकासशील देशों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ भागीदारी पर जोर देता है। 2020 में इस परियोजना में शामिल होने वाले देशों में से 40 प्रतिशत देश सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) ही थे।[8]

दक्षिण अफ्रीका सहयोग के लिए भावी पहलें परिणामोन्मुख और राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ तालमेल रखने की दिशा में सक्रिय होनी चाहिए। भागीदारों को मिलकर काम करने के नेटवर्क विकसित करने होंगे ताकि एसडीजी और एमडीजी जैसे वैश्विक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

दोहा कार्ययोजना अपने इस्तांबुल प्रारूप पर आधारित ''2011 से 2020 के लिए 10-वर्षीय नीति एजेंडा था जिस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहमति बन गई थी तथा जिसका उद्देश्य सबसे कम विकसित देशों की चुनौतियों का समाधान करना, जोखिम कम करना और नए अवसरों में वृद्धि करना था। उसका असल उद्देश्य सबसे कम विकसित देशों के सामने गरीबी दूर करने, अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्य प्राप्त करने और एलडीसी को उभरने में मदद करने की दिशा में आने वाली ढांचागत कठिनाइयों को खत्म करना है।''[9] इन देशों की विकास तालिका में शामिल होने की मांग पूरी

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

करने की दिशा में किए जा रहे उपायों को केवल वैचारिक न रखकर व्यावहारिक बनाने की कोशिश में वैश्विक दक्षिणी सहयोग का स्वरूप अब जटिल हो गया है। एलडीसी-देश अब विदेश नीति में लचीलापन लाने के मामले में नीतिगत स्वायात्तता की मांग करने लगे हैं तथा समानता का व्यवहार चाहते हैं। ''इस्तांबुल प्रारूप के पैरा 132 में दक्षिण-दक्षिण सहयोग की एकजुटता और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में पहली बार परिभाषित दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मूल सिद्धांतों में से कई सिद्धांतों पर बल दिया गया है। ये हैं-राष्ट्रीय सार्वभौमिकता, राष्ट्रीय स्वामित्व और स्वतंत्रता, समानता तथा घरेलू (आंतरिक) मामले में बिना किसी शर्त या हस्तक्षेप के तथा आपसी लाभ को ध्यान में रखने के सिद्धांत।''[10]

दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने का नुस्खा

कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास की उत्पादक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। एलडीसी देशों को व्यापार और आर्थिक समन्वयन के जरिये लचीली व्यवस्था तैयार करनी होगी। कई अफ्रीकी देश निर्यात वाले उत्पादों के समूह पर ही निर्भर हैं; वैश्विक मांग में अचानक तेजी और उतार-चढ़ाव से वहां आर्थिक संकट का खतरा बन सकता है। सबसे कम विकसित देशों में से 85 प्रतिशत तो वस्तु-निर्यात पर ही निर्भर हैं। उन्हें सहायता और निवेश जुटाकर प्रशासन मानक और मानवीय-सामाजिक विकास निष्पादन को बेहतर बनाना होगा। प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के लिए ऋण समझौते इसका उदाहरण हैं जिनसे ये देश ब्याज-भुगतान के चंगुल से आजाद होकर पर्यावरण संरक्षण पर जोर दे सकते हैं।

''व्यापार में जोरदार वृद्धि के बावजूद दोनों पक्षों के बीच व्यापार की संरचना में काफी अंतर है। भारत को होने वाले अफ्रीकी निर्यातों में मूल रूप से कच्चा तेल और प्राथमिक वस्तुएं शामिल हैं जबकि अफ्रीकी देशों को भारत से जाने वाले निर्यातों में विविध वस्तुएं शामिल हैं और इनमें मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं और प्रौद्योगिकी आधारित सामान होता है।''[11] अभी हाल में निर्यात किए गए संक्रमित कफ सिरप से हुई मौतों से भारत की साख को झटका पहुंचा है। बार-बार की राजनीतिक अस्थिरता, परिवहन लागत, खराब व्यापार परिवेश और अफ्रीकी संसाधनों की बेतहाशा सुरक्षा के कारण गंभीर चुनौती बनी हुई है। अधिकांश निवेश तो ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में हुआ है जिनमें से 70 प्रतिशत अकेले मॉरीशस में हुआ था।[12] भारत के लिए जरूरी है कि वह अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को, लोगों से लोगों के बीच मजबूत भागीदारी संबंध विकसित करे (अदिस अबाबा में आईआईटी, समूचे अफ्रीकी नेटवर्क की तरह भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर आधारित परियोजनाएं चलाए, औद्योगिक सहयोग और जानकारी आदान-प्रदान करे (अफ्रीका में वेल्यू चेन को सशक्त बनाने के लिए कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम जैसी योजनाएं चलाए) तथा पर्यटन संपर्क मजबूत करे (2002-10 के बीच भारत से अफ्रीका के बीच संभावित चिकित्सा पर्यटन दोगुना हुआ)।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग को किसी जाल में फंसने से बचाने के लिए ''सक्रिय गुट निरपेक्षता'' की लैटिन-अमेरिकी धारणा अपनाई जा सकती है जिसमें सरकारें प्रादेशिक, विदेशी और आर्थिक संचालन में समन्वय की दृष्टि से मजबूत क्षेत्रीय तंत्रों का निर्माण करती हैं। यूरोपीय संघ और आसियान की सदस्य देशों के बीच सहयोग का मूल प्रारूप तैयार करने में आंशिक सफलता भी याद रखी जानी चाहिए। नाइजर में हुए तख्ता पलट में 'इकोवास' की चेतावनी भी अहम घटक थी। दक्षिण-दक्षिण में भविष्य में जलवायु (आपदा जोखिम रोकथाम), टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, वैश्विक प्रशासन तंत्र (जैसे विफल ट्रिप्स छूट), उभरते और उभर चुके सबसे कम विकसित देशों की सफलता, बुनियादी ढांचे के बदलाव पर अधिक निवेश, गरीब देशों से भुगतान को बढ़ावा देना और डायस्पोरा (प्रवासियों) के निवेश संसाधन और खनिजों के निर्यात मूल्यवर्द्धन को सौदेबाजी का मुद्दा बनाना भी काफी महत्व कारक हो सकते हैं। एशिया, प्रशान्त क्षेत्र और अफ्रीका के देशों के वैश्विक विकास में भागीदार बन जाने से विकास परिवेश में भी बड़ा बदलाव आ गया है।

अब 2030 के एजेंडा में ये परिवर्तन परिलक्षित किए गए हैं; विकास के समक्ष चुनौतियां, गरीबी और जलवायु से संघर्ष और अपराध में बदलाव; और ये परिवर्तन बहुआयामी तथा अंतर-द्वीपीय हैं और इनके समाधान के लिए विविध वैश्विक लक्ष्यों को अधिक समग्र तरीके से प्राप्त करने के लिए विविध हितार्थियों की दृष्टि से उपाय अपनाने होंगे।[13]

ऐसे में सघन महत्वपूर्ण भागीदारी विकसित करने की

आवश्यकता है जो व्यावहारिक और मांग के अनुरूप हो। जिसमें केवल वित्त व्यवस्था पर ही ध्यान न हो बल्कि मानव संसाधनों, ज्ञान, टेक्नोलॉजी और स्थिरता पर भी ध्यान दिया जाए। ''असल उद्देश्य सिर्फ टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करना मात्र ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले पात्रों की तरह सहायता देने वाले भी सीखने और सह-निर्माण में भी भागीदारी करें और वे 'सुविधा प्रदाता' की हैसियत से क्षमता के विकास और समूची प्रक्रिया में तेजी लाने की भूमिका भी निभा सकते हैं।''[14]

दक्षिण अफ्रीका सहयोग के लिए भावी पहलें परिणामोन्मुख और राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ तालमेल रखने की दिशा में सक्रिय होनी चाहिए। भागीदारों को मिलकर काम करने के नेटवर्क विकसित करने होंगे ताकि एसडीजी और एमडीजी जैसे वैश्विक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। एसएससी के बारे में यूएनओएसएससी की मसौदा रिपोर्ट में ''अन्तर-सरकार प्रक्रियाएं अपनाने, क्षमता निर्माण, जानकारी का प्रबंधन और उसे साझा करना, दक्षिण-दक्षिण त्रिकोणीय सहयोग समाधान प्रयोगशाला और न्यास कोष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।''[15] इसी भावना से एसएससी के बारे में ओईसीडी की रिपोर्ट में भी क्षमताओं को मजबूत करने, सूचना की गुणवत्ता और जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया है। विभिन्न संगठनों के घोषणापत्रों में अनेकानेक समानताओं के कारण सहयोग परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है और विवाद भी खड़े हो जाते हैं। सहायता में अंतर संबंध की कमी के कारण सहायता के पूरे लाभ प्राप्त करने का पूरा दायित्व सहायता लेने वाले देश पर ही आ जाता है। ❑

समापन टिप्पणियां

1. ग्रेयांड गिल्स : 557
2. ओगुंतुआसे : 9
3. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx-?PRID=1932726
4. चेरूएंडओवि : 2-3
5. मैक-कैन : 462
6. कैरमोडी
7. अब्देनुर, द फोन सेका : 1476
8. https://unsouthsouth.org/2023/03/05/unossc-ibsa-un-fund-impact-idc-development/
9. India-UNDevelopmentPartnershipFundAtaGlance,September 2020
10. यू एन-ओएचआरएलएलएस-9
11. आईबिड
12. एक्सिम : 12
13. द सिक्वेरिया 21
14. होसोनोआ एटऑल
15. https://unsouthsouth.org/2022/02/02/unosscs-strategic-framework-2022/2025-will-enhance-south-south-cooperation-toward-achievement -of-sdgs

सन्दर्भ

1. इंटरनेशनल इंस्टिच्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट। सितम्बर 25, 2022, ''इंडिया सीक्स टु स्ट्रेंग्थन इट्स लोंगस्टैंडिंग टाइज़ विद अफ्रीका. https://www.iisd.org/articles/news/india-stregthen-ties-africa.
2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय : वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 https://commerce.gov.in/wp.content/uploads/2023/03/AnnualReport-Fy-2022-23-Doc.pdf.
3. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक 2018. डीपनिंग साउथ-साउथ कोलेबोरेशन : अफ्रीका और भारत के व्यापार और निवेश का विश्लेषण. https://www.eximbankindia.in/Assets/Dynamic/PDF/Publication-Resources/Special/Piblications/Deepening-South-South-Collaboration_An-Analysis -of-Africa-and-India's-Trade-and-Investment.pdf.
4. Gieg P. 2023. इंडियाज अफ्रीकन पॉलिसी : सहस्त्राब्दी पुराने संबंधों की चुनौतियां-स्प्रिंगर.
5. मैक कैन जी., टाईज दैड बाइंड या बाइंड्स दैट टाई। भारत के अफ्रीकी इंगेजमेंट्स एंड द पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ केन्या। रिव्यू ऑफ अफ्रीकन पोलिटिकल इकोनॉमी। संस्करण 37, अंक 126. दिसम्बर 2010, 462-482
6. जेआईसीए 2012. स्केलिंग ऑफ साउथ-साउथ एंड ट्राईएंगुलर कोऑपरेशन. https://www/jica.go.jp/Resource/jica-ri/ja/piblication/booksandreports/jrft3q 00000012gg-att/JICA-RI_2012_ScalingUpSouthSouthAndTriangularCooperation - revised2014.pdf.
7. ग्रे.के., गिल्स बी.के. 2016. "South-SouthCooperationandtheriseoftheGlobalSouth." ThirdWorldQuarterly,Taylor&FrancisJournal,Vol.37(4),pages557-574,April.
8- CarmodyP. 2020. Dependecenotdebt-trepdiplomacy,.AreaDevelopmentPolicy,5:1,23-31,DOI:10.1080/23792949.2019.170247:.
9. ऑगुन ओल्युवासेयुन जे.2023. इंडिया एंड अफ्रीका लीवरेज क्लाइमेट डिप्लोमेसी. ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन.
10. मोदी आर वेंकटचलम एम. 2021. भारत, अफ्रीका और वैश्विक जलवायु राजनीति.
11. सुभाष ए. 2012. ''तकनीकी प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम समर्थन और शिक्षा पहलें: कुशलता विकास में भारत की विदेशों को सहायता का आकलन ." बेकग्राउंड पेपर प्रिपेयर्ड फॉर द एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2012, यूथ एंड स्किल्स : पुटिंग एजुकेशन टु वर्क
12. यूएनडीपी 2016 में उद्धृत।
13. भारत और अफ्रीका की भागीदारी : नए भविष्य का विज़न. : ए.के.दुबे और अपराजिता बिस्वास द्वारा संपादित. स्प्रिंगर. 2016.
14. यूएन-ओएचआरएलएलएस.डेनियल ग्रे.स्थायी विकास को आगे बढ़ाने और सबसे कम विकसित देशों के सुधारात्मक परिवर्तन में दक्षिण-दक्षिण ससहयोग। https:// www.un/org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/south-south_cooperation-and-ipoa.pdf.
15. यूएनओएसएससी. साउथ-साउथ इन एक्शन : शांति और विकास के बारे में दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग. https:// www.southsouth-galaxy. org/ wp- content/uploads/2019/03/UNOSSC-PEACE AndDevelopment-web.pdf.
16. अब्देनुर ए.ई. दा फोनसेका जे.एम.ई.एम.-2013. द नॉर्थर्स ग्रोइंग रोल इन साउथ-साउथ कोऑपरेशन : कीपिंग द फुटहोल्ड, थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली, 34:8, 1475-1491, डीओआई : 10. 1080/01436597.2013.831579.
17. होसोनो ए., शुनिचिरो एच.,माइन एस, माइ ओ.2011,''इनसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ कैपेसिटी डेवेलपमेंट इन खरस, होमी एट ऑल (संस्करण) 2011.
18. द सिक्वेरिया इसाबेल ब्रिक्स पॉलिसी सेंटर. 2019. शांति और विकास के बारे में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए मामला।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हमारे प्रकाशन

गांधी साहित्य, भारतीय इतिहास, जाने-माने व्यक्तियों की जीवनियां, उनके भाषण और लेखन, आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला की पुस्तकें, कला एवं संस्कृति, बाल साहित्य

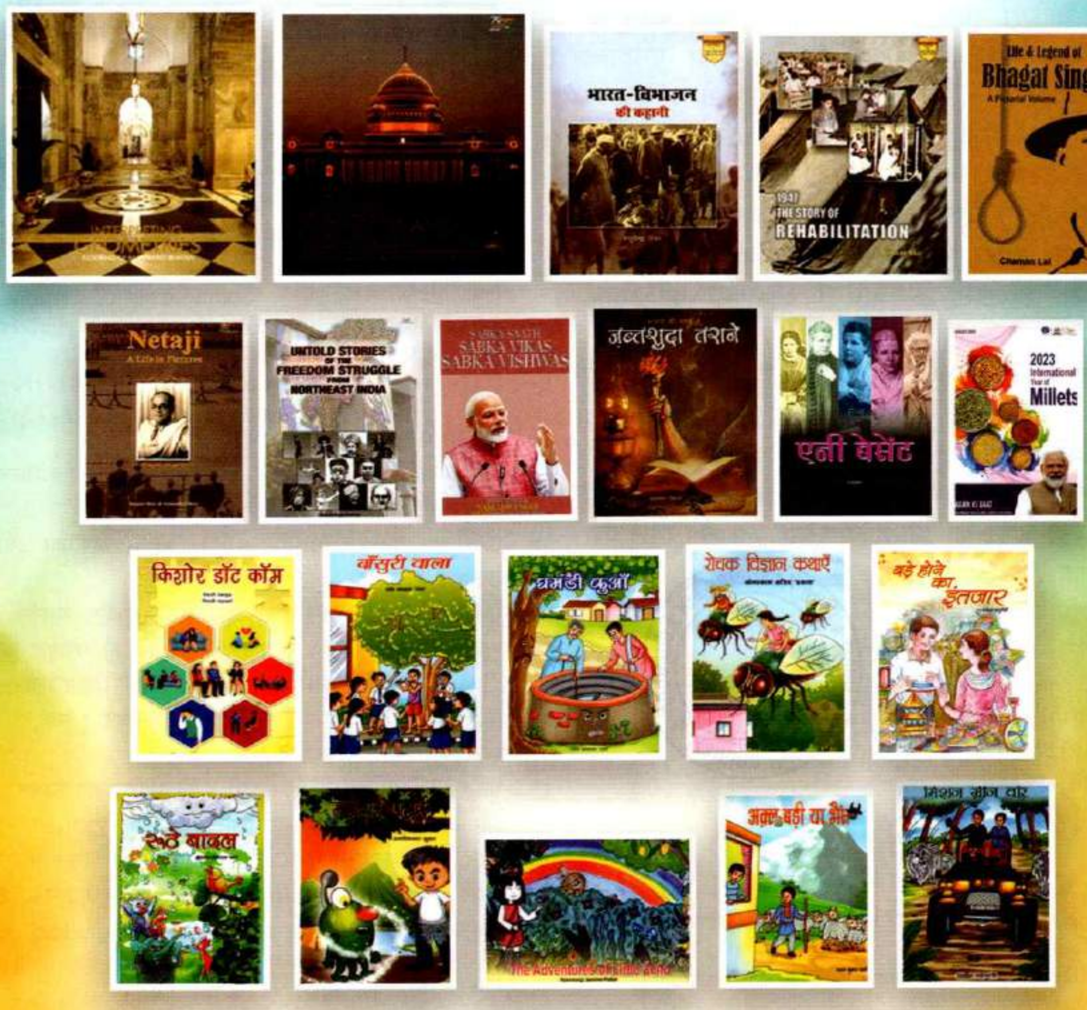

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

संकलन ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया **www.bharatkosh.gov.in** पर जाएं।

ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ईमेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : **www.publicationsdivision.nic.in**

/dpd_india @DPD_India /publicationsdivision

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

Elite Academy For Education & Training Pvt Ltd. ★ Delhi ★

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोष' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है–
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**" के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन" या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... ज़िला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

प्रकाशन विभाग

परीक्षा तैयारी
के लिए
हमारा संग्रह

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

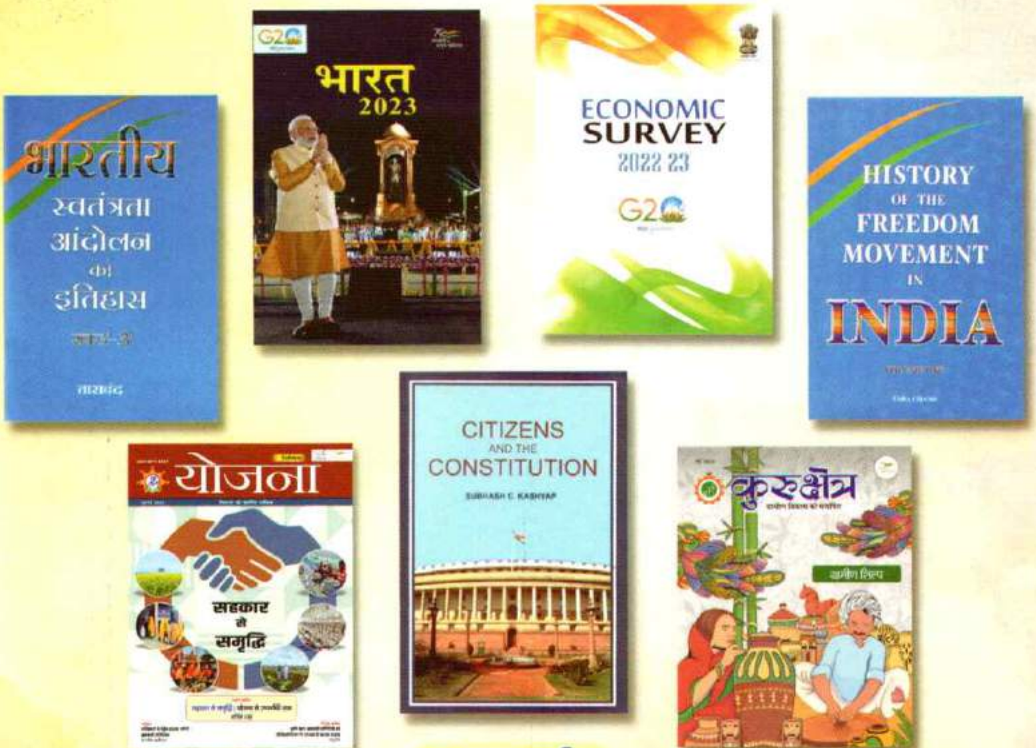

व अन्य कई ...

रोज़गार संबंधी जानकारी और महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर गहन विश्लेषण के लिए हर सप्ताह पढ़ें रोज़गार समाचार

सब्सक्राइब करें : www.employmentnews.gov.in

खरीदने के लिए : www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें:

पुस्तकों के लिए :	businesswng@gmail.com		01124365609
पत्रिकाओं के लिए:	pdjucir@gmail.com		01124367453

सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003